खण्ड–489, अंक–1
गुरुवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1936
(19 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
-सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-20
-राष्ट्रीय गीत	21
-प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	21-27
-प्रश्नोत्तर	27-68
-नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	68-69
-इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय क्षेत्रों में नये विद्युत उप केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
-जनपद शाहजहाँपुर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
-जनपद पीलीभीत समेत प्रदेश में संचालित कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी में राजीव गांधी विद्युतीकरण के कार्य न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा नं0-1 में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
-जनपद मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी के किनारे अवस्थित घाटों को पक्का कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
-धार्मिक नगरी वाराणसी में सफाई दुर्व्यवस्था तथा सीवर जाम की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
-महोबा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	74
-जनपद झांसी के विभिन्न उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
-जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी स्थित क्षतिग्रस्त विरोहिया पिकअप बीयर एवं जलाशय के बांध की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया एवं बेल्थरा रोड में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् रसड़ा के वार्ड नं0-1 में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
-जनपद लखीमपुर के नदी कटान के पीड़ितों को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76-77
-जनपद कुशीनगर की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
-औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	77
-नियम-311 के अन्तर्गत सूचनायें	77
-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	77
-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	77
-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यादेश, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	78
-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
-उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन), विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	78
-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	78
-उत्तर प्रदेश राज्य विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	79
-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	79
-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	79
-उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)... ...	79-80

विषय	पृष्ठ-संख्या
-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	80
-जेपी विश्वविद्यालय, अनुपशहर उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	80
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी)	80-82
-प्रदेश की कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	83
-कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	83'84
-लोक सभा चुनाव में निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान सभा के बारह सदस्यगण के त्याग-पत्र की सूचना	85
-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	86-88
-जनपद देवरिया के गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर कपरवार घाट होते हुए बड़हल राष्ट्रीय राजमार्ग तक 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुए कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भगलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	88-89
-वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाये विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	89
-जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषद्रों को भी शामिल किये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	89
-जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	89-90
-कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	90
-जनहित में आगरा में एन0एच0-2 रूनकता से एन0एच0-2 कुबेरपुर ताज एक्सप्रेस-वे तक उत्तरी बाईपास का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक ठा0 सूरजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
-आगरा जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	91
-प्रदेश के महानगरों में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए महानगरों के बाहरी क्षेत्रों में बसे लोगों हेतु विद्युतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)	91
-जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	91
-बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्दलेखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना की जाय विषयक श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	92
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	92-93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू' श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकरनगर
11. अताउररहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार,श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह श्री, — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
34. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
42. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
43. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरापुर
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
47. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
48. आशीष यादव, श्री — बदायूं
49. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
51. इकबाल, श्री — बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री — संभल
53. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
58. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
59. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
60. उदयराज, श्री — उन्नाव
61. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
63. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
64. उमाशंकर, श्री — बलिया

65. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
66. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
67. ओम कुमार, श्री बिजनौर
68. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
69. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
70. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
71. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
72. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
73. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
74. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
75. काली चरन सुमन,श्री आगरा
76. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
77. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
78. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
79. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
80. कैलाश, श्री गाजीपुर
81. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
82. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
83. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
84. गजराज सिंह, श्री हापुड़
85. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
87. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
88. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
89. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
90. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
91. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
92. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
93. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
94. गोमती यादव, श्री लखनऊ
95. गोरख पासवान, श्री बलिया
96. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
97. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
98. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
99. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
100. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
101. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
102. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
103. जगपाल, श्री सहारनपुर
104. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
105. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
106. जफर आलम, श्री अलीगढ़
107. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
108. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
109. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
110. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
111. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
112. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
113. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
114. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
115. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
116. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
117. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
118. तसलीम, श्री बिजनौर
119. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
120. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
121. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
122. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
123. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
124. दलजीत सिंह, श्री बांदा
125. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
126. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
127. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
128. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी

129. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
130. देवनरायन उर्फ
जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
131. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
132. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
133. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
134. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
135. धर्मराज, श्री बाराबंकी
136. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
137. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
138. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
139. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
140. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
141. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
142. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
143. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
144. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
145. नारद राय, श्री बलिया
146. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
147. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
148. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
149. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
150. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
151. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
152. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
153. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
154. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
155. पीतमराम, श्री पीलीभीत
156. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
157. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
158. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
159. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
160. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
161. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
162. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
163. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
164. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
165. प्रशान्त कुमार सिंह
(राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
166. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
167. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
168. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
169. "फसीहा मंजर" देवरिया
"गजाला लारी", सुश्री
170. फेरन लाल, श्री ललितपुर
171. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
172. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
173. बदलू खां, श्री उन्नाव
174. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
175. बाबू खां, श्री हरदोई
176. बाबूलाल, श्री गोण्डा
177. बावन सिंह, श्री गोण्डा
178. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
179. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
180. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
181. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
182. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
183. बैजनाथ, श्री मऊ
184. ब्रहमाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
185. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
186. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
187. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
188. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
189. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
190. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
191. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
192. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
193. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर
(भदोही)
194. मनबोध, श्री देवरिया

195. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
196. मनीष रावत, श्री सीतापुर
197. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
198. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
199. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
200. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
201. महबूब अली, श्री अमरोहा
202. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
203. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
204. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
205. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
206. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
207. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
208. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
209. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
210. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
211. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
212. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
213. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
214. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
215. मुनीन्द्र, शुक्ला, श्री कानपुर नगर
216. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूँ
217. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
218. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
219. मूलचन्द्र चौहान ठा0 बिजनौर
220. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
221. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
222. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
223. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
224. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
225. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
226. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
227. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
228. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
229. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
230. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
231. यासर शाह, श्री बहराइच
232. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
233. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
234. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'श्री गोण्डा
235. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
236. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
237. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
238. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
239. रणजीत सुमन, श्री एटा
240. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
241. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
242. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
243. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
244. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
245. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
246. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
247. रवि शर्मा, श्री झांसी
248. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
249. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
250. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
251. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
252. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
253. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
254. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
255. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
256. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
257. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
258. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
259. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
260. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर

261. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
262. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
263. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
264. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
265. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
266. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
267. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
268. राधे श्याम, श्री अमेठी
269. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
270. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
271. राम करन आर्य, श्री बस्ती
272. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
273. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
274. राम गोबिन्द, श्री बलिया
275. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
276. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
277. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
278. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
279. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
280. राम मगन, श्री बाराबंकी
281. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
282. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
283. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
284. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
285. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
286. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
287. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
288. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
289. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
290. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
291. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
292. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
293. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
294. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
295. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
296. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
297. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
298. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
299. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
300. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
301. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
302. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
303. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
304. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
305. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
306. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
307. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
308. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
309. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
310. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
311. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
312. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
313. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
314. विजय सिंह, श्री रामपुर
315. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
316. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
317. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
318. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
319. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
320. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
321. वीरपाल राठी, श्री बागपत
322. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
323. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
324. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
325. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
326. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
327. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
328. शमशेर बहादुर, उर्फ शेरू भय्या, श्री लखीमपुर खीरी

329. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
330. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
331. शाकिर अली, श्री देवरिया
332. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
333. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
334. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
335. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
336. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
337. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
338. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
339. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
340. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
341. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
342. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
343. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
344. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
345. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
346. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
347. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
348. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
349. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
350. संजय कपूर, श्री रामपुर
351. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
352. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
353. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
354. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
355. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
356. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
357. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
358. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
359. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
360. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
361. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
362. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
363. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
364. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
365. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
366. सियाराम सागर, डा0 बरेली
367. सीमा, श्रीमती जौनपुर
368. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
369. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
370. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
371. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
372. सुधाकर, श्री मऊ
373. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
374. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
375. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
376. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
377. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
378. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
379. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
380. सुरेश राणा, श्री शामली
381. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
382. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
383. सुल्तान बेग, श्री बरेली
384. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
385. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
386. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
387. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
388. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
389. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
390. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
391. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
392. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
* 393. रिक्त गौतमबुद्ध नगर

** 394. रिक्त	शामली	******** 400. रिक्त	कौशाम्बी
*** 395. रिक्त	लखनऊ	********* 401. रिक्त	हमीरपुर
**** 396. रिक्त	खीरी	********** 402. रिक्त	बिजनौर
***** 397. रिक्त	बहराइच	********** 403. रिक्त	सहारनपुर
****** 398. रिक्त	वाराणसी	********** 404. रिक्त	मुरादाबाद
******* 399. रिक्त	महोबा		

*	डा0 महेश शर्मा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-61 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा दिनांक 22 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
**	श्री हुकुम सिंह निर्वाचन क्षेत्र संख्या-08 कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 23 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
***	श्री कलराज मिश्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या-173 लखनऊ पूर्व, जिला लखनऊ द्वारा दिनांक 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
****	श्री अजय मिश्र 'टेनी' निर्वाचन क्षेत्र संख्या-138 निघासन, जिला खीरी द्वारा दिनांक 27 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
*****	सुश्री सावित्री बाई फूले निर्वाचन क्षेत्र संख्या-282 बलहा, जिला बहराइच द्वारा दिनांक 28 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
******	श्रीमती अनुप्रिया पटेल निर्वाचन क्षेत्र संख्या-387 रोहनिया, जिला वाराणसी द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
*******	श्रीमती उमा भारती निर्वाचन क्षेत्र संख्या-231 चरखारी, जिला महोबा द्वारा दिनांक 28 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
********	श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या-251 सिराथू, जिला कौशाम्बी द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
*********	साध्वी निरंजन ज्योति निर्वाचन क्षेत्र संख्या-228 हमीरपुर, जिला हमीरपुर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 में पूर्वाह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
**********	कुंवर भारतेन्द्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या-22 बिजनौर, जिला बिजनौर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
**********	श्री राघव लखनपाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या-03 सहारनपुर नगर, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।
**********	कुंवर सर्वेश कुमार निर्वाचन क्षेत्र संख्या-26 ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

महामहिम-राज्यपाल

श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव, मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्यनिषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, श्रम, सेवायोजन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।
2	श्री मोहम्मद आजम खां	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
6	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।

1	2	3
7	श्री अम्बिका चौधरी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण।
8	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
9	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।
10	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
11	श्री पारसनाथ यादव	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
12	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
13	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
14	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा।
15	श्री राज किशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
16	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
17	श्री राजेन्द्र चौधरी	कारागार
18	श्री नारद राय	खेलकूद एवं युवा कल्याण
19	श्री कैलाश	खादी एवं ग्रामोद्योग
20	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
21	श्री रघुराज प्रताप सिंह	खाद्य एवं रसद
22	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
23	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भूतत्व एवं खनिकर्म
24	प्रो0 शिवाकान्त ओझा	प्राविधिक शिक्षा
25	श्री इकबाल महमूद	मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम
26	श्री महबूब अली	माध्यमिक शिक्षा
27	श्री शाहिद मंजूर	श्रम एवं सेवायोजन

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
2	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
3	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
4	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा।
5	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
6	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
7	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
8	श्री अभिषेक मिश्रा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
10	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
11	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
12	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
13	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
14	श्री शंखलाल माँझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण
15	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
16	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
17	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा।
18	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण

1	2	3
19	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास
20	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
21	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	माध्यमिक शिक्षा
22	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
23	श्री अलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
24	श्री राम सकल गूजर	प्राविधिक शिक्षा
25	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
26	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
27	श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय	मनोरंजन कर
28	श्री यासर शाह	---

नेता विरोधी दल,
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2013-2014)

1. श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)
2. श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)
3. श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)
4. श्रीमती शादाब फातिमा, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)
5. श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)
6. श्री उदय राज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)
7. डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)
8. श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)
9. श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)
10. श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 जून, 2014

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-344

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू' श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकरनगर
9. अनिल कुमार,श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
42. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
43. आशीष यादव, श्री — बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
46. इकबाल, श्री — बिजनौर
47. इकबाल महमूद, श्री — संभल
48. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
66. काली चरन सुमन,श्री आगरा
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. कैलाश, श्री गाजीपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गोमती यादव, श्री लखनऊ
84. गोरख पासवान, श्री बलिया
85. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
86. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
87. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जगपाल, श्री सहारनपुर
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जफर आलम, श्री अलीगढ़
94. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
96. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
99. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
100. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
101. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
102. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
103. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
104. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
105. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
108. दलजीत सिंह, श्री बांदा
109. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
110. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
114. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज, श्री बाराबंकी
119. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
123. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
124. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
126. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
127. नारद राय, श्री बलिया
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
129. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
133. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
134. पीतमराम, श्री पीलीभीत
135. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
136. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
139. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
140. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
141. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
142. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
143. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
144. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. "फसीहा मंजर" "गजाला लारी", सुश्री देवरिया
148. फेरन लाल, श्री ललितपुर
149. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
150. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
151. बदलू खां, श्री उन्नाव
152. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
153. बाबू खां, श्री हरदोई
154. बाबूलाल, श्री गोण्डा
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
157. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
160. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
161. बैजनाथ, श्री मऊ
162. ब्रहमाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
163. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
164. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
167. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
168. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
169. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
170. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
171. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
172. मनबोध, श्री देवरिया
173. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
174. मनीष रावत, श्री सीतापुर
175. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर

181. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ सीतापुर
झीन बाबू, श्री
183. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
185. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
186. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
187. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
188. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
189. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ बहराइच
ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री
190. मुनीन्द्र, शुक्ला, श्री कानपुर नगर
191. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूँ
192. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
193. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
194. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
195. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
196. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
197. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
198. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
199. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
200. यासर शाह, श्री बहराइच
201. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
202. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
203. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया' गोण्डा
204. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
205. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणजीत सुमन, श्री एटा
208. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
209. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
210. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
211. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
212. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
213. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
214. रवि शर्मा, श्री झांसी
215. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
216. राकेश कुमार वर्मा उर्फ
डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
217. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
218. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
219. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
220. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
221. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
222. राजनारायण बुधौलिया उर्फ
रज्जू महाराज, श्री महोबा
223. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
224. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
225. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
226. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
227. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
228. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
229. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
230. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
231. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
232. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
233. राधे श्याम, श्री अमेठी
234. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
235. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
236. राम करन आर्य, श्री बस्ती
237. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
238. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
239. राम गोबिन्द, श्री बलिया
240. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
241. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
242. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
243. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244. राम मगन, श्री बाराबंकी

245. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
246. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
248. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
249. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
250. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
251. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
252. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
253. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
254. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
255. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
256. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
257. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
258. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
259. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
260. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
261. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
262. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
263. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
264. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
265. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
266. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
267. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
268. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
269. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
270. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
271. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
272. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
273. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
274. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
275. विजय सिंह, श्री रामपुर
276. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
277. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
278. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
279. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
280. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
281. वीरपाल राठी, श्री बागपत
282. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
283. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
284. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
285. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
286. शमशेर बहादुर, उर्फ शेरू भय्या श्री लखीमपुर खीरी
287. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
288. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
289. शाकिर अली, श्री देवरिया
290. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
291. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
292. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
293. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
294. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
295. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
296. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
297. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
298. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
299. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
300. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
301. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
302. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
304. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
305. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
306. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

307. संजय कपूर, श्री रामपुर
308. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
309. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
310. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
311. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
312. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
313. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
314. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
315. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
316. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
317. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
318. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
319. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
320. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
321. सियाराम सागर, डा0 बरेली
322. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
323. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
324. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
325. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
326. सुधाकर, श्री मऊ
327. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
328. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
329. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
330. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
331. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
332. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
333. सुरेश राणा, श्री शामली
334. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
335. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
336. सुल्तान बेग, श्री बरेली
337. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
338. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
349. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
340. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
341. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
342. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
343. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
344. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-वन्देमातरम् ।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

[11.05] प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की माँग

(वन्दे मातरम् की समाप्ति के तुरन्त बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ''भारत माता की जय, भारत माता की जय'' के नारे लगाते हुए तेजी से हाउस के वेल में आ गए। साथ ही बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य भी नारे लगाते हुए वेल में आ गये। नारे लिखे हुए बैनर तथा टोपी पहने विपक्षी दल के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे।)

श्री सतीश महाना-(वेल से)

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मैंने नियम-301 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, जंगलराज कायम हो गया है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि जो नोटिस हमने नियम-311 के अन्तर्गत दी है, उसे आप स्वीकार करें।

इसी मध्य बहुजन समाज के सदस्यगण नारे लिखी नीली टोपी लगाए एवं हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे बैनर लेकर वेल में आकर नारे लगाने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय

लोकदल के कतिपय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हाथ में बैनर लिए हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आपसे निवेदन है, आप अपने-अपने स्थानों पर जायें और जो कहना है, वहीं से कहें।

(विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि चूँकि सदन की कार्यवाही बहुत जरूरी है और वह चलनी चाहिए। मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही को जारी रखें।

(श्री सतीश महाना तथा अन्य विपक्षी सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, जब आपकी नोटिस का समय आयेगा, तब बोलियेगा। माननीय बाजपेयी जी, आप अपने स्थान पर चलें। आप लोग जो बोल रहे हैं, उसकी सूचना आपने दी है। जब उसकी मद आयेगी, उसमें आप लोग अपनी बात कहिएगा। आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप अपने स्थानों पर चलें।

(विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे)

अरे डाक्टर साहब, बीमार हो जाओगे, इतना तेजी से नारे लगा रहे हो। माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चलें।

(घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-(वेल से)

उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। लाशें पेड़ पर टंगी है हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे हैं। प्रदेश में कानून का राज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कह रहे हैं इसी पर आपने सूचना दी है। जब वह मद आयेगी तो आप अपनी बात कहियेगा। मेरा आग्रह है कि आप सब अपने स्थानों पर चलें।

(फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

रघुनन्दन जी चलिए। अरे डाक्टर साहब बीमार हो जाओगे इतनी जोर से नारा लगा रहे हो। मा0 सदस्यगण देखिये, यह बजट सत्र है और आपने और सभी विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर नियम 56 में नोटिस दी है और जब नियम 56 की मद आएगी तो आप अपनी बात कहियेगा। चलिये अब आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये।

(इस बीच नारेबाजी और शोरशराबा होता रहा। शोरशराबा और घोर व्यवधान जारी रहा।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अरे डाक्टर साहब बीमार हो जाओगे काहे इतना हल्ला कर रहे हो चलिये अपनी सीटों पर बैठिये। मा0 सदस्यगण, जिस बात को आपको कहना है उस संदर्भ में आपने नोटिस दी है, जब नोटिस का समय आये तो आप अपनी-अपनी बात कहियेगा। अब आप चलिये अपने स्थान पर।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-(वेल से)

कानून व्यवस्था पर अभी बहस कराइये। मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने नियम 311 में आपको सूचना दी है। आप सभी नियमों को शिथिल करते हुए अभी उस पर बहस कराइये।

श्री अध्यक्ष-

सभी दलों ने यहाँ पर नोटिसें दी हैं। जब नोटिस का समय आयेगा तो अपनी बात कहियेगा। डा0 साहब आपकी भी नोटिस है तो यहाँ यह करने की क्या जरूरत है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप नियम 311 स्वीकार करिये।

श्री अध्यक्ष-

आपने नोटिस दी है न, तो जब नोटिस का समय आएगा तब बोलेंगे कि पहले बोलेंगे। आपने तो अपनी नोटिस दी है। नियम 311 अस्वीकार है। मा0 सदस्यगण आप अपनी सीटों पर जायें। मा0 रघुनन्दन सिंह जी आप अपनी जगह पर जाइये। नियम 311 कभी स्वीकार हुआ हो तो बतायें। जब सूचनायें है तो आपको विभिन्न समय पर बोलने का अवसर है। जब आपकी नोटिस आएगी तो आप बोलियेगा। आज आपने गेट बंद कर दिया, आज आप लोग सीमा तोड़ रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपनी जगहों पर जायें। आपने नोटिस दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पहले कभी लाशें पेड़ पर नहीं टांगी गयी, न ही थानों में बलात्कार हुआ है, थानों में बलात्कार अब हुआ है, नियम 311 स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

आपने भी दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, सबने दिया है। जब समय आयेगा तब बोलियेगा। यह बजट सत्र है उसमें भी आपको पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। इस तरह से आप गेट बंद करेंगे? आप विधान सभा को हाईजेक करना चाहते है यह अच्छी बात नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

कभी पेड़ पर लाशें नहीं टांगी गयी, कभी थानों में बलात्कार नहीं हुआ, अब असामान्य परिस्थिति है। आप नियम 311 की सूचना को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 अस्वीकार है। वह नहीं स्वीकार होगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम 311 में बहस कराइये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जगह पर चलें।

(विपक्ष के सदस्यगण सदन की वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति जारी रही।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-311 पर बहस कराइये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना प्रदर्शन कर लीजिये, डा0 बाजपेयी जी बहुत दिन के बाद आये हैं, बोल लीजिये।

(सदन की वेल में आये हुये सदस्यगण लगातार नारेबाजी करते रहे)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

आपके मुख्य मंत्री, जो सदन में कहते हैं, वह भी नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी जगह पर चलें। देखिये, मा0 सदस्यगण, आपने पहले तो गेट को बन्द किया, गेट पर धरना दिया, यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक देश में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने मेरे सदन में आने वाले गेट को बन्द किया, आने से रोका, यह अच्छी बात नहीं है, अब यह नहीं चल पायेगा, आपके हाथों में विधान सभा गिरवी नहीं रहेगी। आप बोलिये, हम भी बैठे है, जितना बोलना हो, बोलिये।

(सदन की वेल में आये हुये मा0 सदस्यगण नारे लगाते रहे)

मा0 सदस्यगण, कृपया अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाएं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन के वेल में आये हुये विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाते जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप लोग वहां जाइये न। मा0 वीर पाल राठी जी अपने स्थान पर जाइये। मा0 सदस्यगण आप अपने-अपने स्थानों पर जायें।

(सदन के वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहे)

अब आप चलिये। अरे, संगीत सिंह सोम जी अब आप लोग चलिये। डा0 अग्रवाल साहब चलिये न। सारे नारे लगा लीजिये कोई बाकी न रहे। अब हो गया, अब आपकी बात आ गयी। 20 मिनट तक व्यवधान रहा। अब आप चलकर बैठें। वहां से बोलिये जब आपकी सूचना आये। यह बात तो अपने स्थान से कहनी चाहिये। आखिर इतना थक गये हल्ला करके क्या फायदा हुआ ? वहीं से यह बात कह लेते।

(सत्ता विरोधी नारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार वेल से लगाये जाते रहे।)

अब आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर चले और जो यहां पर कह रहे हैं वह आप अपने स्थान से भी कह सकते हैं। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने मुझे गेट पर रोका यह एक अलोकतांत्रिक कार्य है आप मुझे विधान सभा में नहीं आने देना चाहते थे और विधान सभा आप इस तरह से अपने आचरण से सारी मर्यादाओं को आप लोगों ने तोड़ा है, जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिये फिर वहां से आकर आप यहां नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपने नोटिस दी है, जब नोटिसों का समय आयेगा, तो आपको पूरा अवसर मिलेगा लेकिन उसके बाद भी आप यहां ये कर रहे है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी जगह पर जायें, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सरकारें आप की भी बहुत से सूबों में हैं और क्या वहां नियम-311 माना जाता है? अब आप लोग बैठिये, बैठिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, थाने में बलात्कार हो रहे है। लाशें पेड़ों पर लटकाई जा रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से सत्ता विरोधी नारे लगाये जाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

ये कितनी बार आप कहेंगे। आप बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। आज हम भी बैठे और आप भी बैठिये। क्या आज दिनभर ऐसे ही रहेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष, जी यह सदन लोकतंत्र का रक्षक है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसे नियम-311 में स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं कह रहा हूं कि आप की सूचनायें हैं, जब आपका मद संख्या-12 आयेगा तो उसमें जितना चाहियेगा बोल लीजियेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा वेल से सत्ता विरोधी नारे लगाये जाते रहे।)

आपने दरवाजा क्यों रोका, यह आपका आश्रम नहीं था ? यहां आकर जो कहना था वह कहते। आप दरवाजे पर बैठ गये, आपने आने से रोका, यह आपका आचरण उचित नहीं था। बाहर आपका यह आचरण उचित नहीं था, आप यहां आकर कहते जो कहना था। बाहर गेट को बंद कर

देना, गेट पर धरना, आने से रोक देना यह आपका लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। आप लोग धीरे-धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहां पर आप अपनी बात कहते।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से सत्ता विरोधी नारे लगातार लगाये जाते रहे।)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-311 स्वीकार करें, ताकि यह गतिरोध समाप्त हो और हम अपनी बातें रखें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले बलात्कार फिर पेड़ों पर लाशें लटकायी जा रही हैं। इस सदन में भी उन लाशों की आत्मायें घूम रही हैं। इस पूरे सदन से वो लाशे जवाब मांग रही हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि यह सदन लोकतंत्र का रक्षक है। आप हमारे भी संरक्षक हैं और प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप आपका व्यवहार होना चाहिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, बलात्कार कर लाशें लटकायी जा रही हैं, आपने भी लटकती लाशें देखी होगी।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब अब आप थक गये, अब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आना, बाजपेयी जी तो थकेंगे नहीं, वह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, दवा खाते हैं, इसलिये उनको तो कोई असर नहीं पड़ेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा लगातार सत्ता विरोधी नारे लगाये जाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में आये भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण लगातार नारे लगाते रहे)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगे बैनर दिखाने लगे)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया वेल से कहते रहे कि इस सरकार को बेटियों की इज्जत बचानी चाहिए उनकी लाशों को पेड़ों पर लटकाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए)।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बैनर दिखाकर नारे लगाते रहे)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री लोकेन्द्र सिंह वेल से कहते रहे कि सपा बसपा के सदस्य बीजेपी के सदस्यों से गमछे मांग रहे हैं। सपा सरकार जाति विरादरी के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर रही है।) (डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य नारे लगाते रहे (श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सदन के वेल से

कहते रहे कि ''सपा सरकार जनता को बिजली पानी न देकर, बीजेपी के नेताओं की हत्या करा रही है, हत्यारों को न तो गिरफ्तार किया जाता है, यह बात गलत है, यह सरकार निकम्मी है।'') (भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री संगीत सिंह सोम- (सदन के वेल से)

दादरी में हुई विजय पंडित की हत्या में अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-(सदन के वेल से)

नरेन्द्र भाटी को गिरफ्तार किया जाय और पूरे मामले की सी0बी0आई0 जांच हो।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में शुगर मिलों के मानक के विपरीत लगी चिमनी से हो रहे प्रदूषण एवं जहरीले पानी के रिसाव से उत्पन्न गम्भीर बीमारियों से निपटने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की माँग

*01-श्री सुरेश राणा-

श्री अवस्थी बाला प्रसाद तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शुगर मिलों में मानक के विपरीत लगी चिमनी से हो रहे प्रदूषण एवं जहरीले पानी के रिसाव के कारण हो रही गम्भीर बीमारियों से निपटने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में कार्यरत समस्त चीनी मिलों में मानक के अनुरूप चिमनी एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज एवं संजय गांधी, पी0जी0आई0 स्थापित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

---

* नोटः-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अत्यधिक निर्धन एवं असहाय लोगों के जीविकोपार्जन हेतु समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने की माँग

*01-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार अत्यधिक निर्धन, असहाय, बेसहारा एवं कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों के जीवन-यापन के लिए समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उक्त योजना का कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने तथा उसके संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014 निर्गत कर दिया गया है।

समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन-यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु नियमित रूप से मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर कुल 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चयनित/लाभान्वित किये जा रहे परिवार के मुखिया को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित कतिपय शर्तों को स्वीकार करना होगा।

शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन हेतु कानपुर महानगर स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम का आधुनिकीकरण कराये जाने की माँग

*02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर महानगर स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, के आधुनिकीकरण हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम के आधुनिकीकरण हेतु वर्तमान में विभागीय पैवेलियन (लिफ्ट सहित) एवं विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आलू की उपज का लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु आलू की खुदाई के उपरान्त ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, विपणन व्यवस्था में सुधार किये जाने हेतु विकास नीति बनाये जाने की जानकारी

*03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू की उपज का लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु आलू की खुदाई के उपरान्त ग्रेडिंग पैकिंग, परिवहन, विपणन व्यवस्था में सुधार किये जाने तथा सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर पोटैटो अनुसंधान केन्द्र व बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए आलू विकास नीति बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री- (श्री पारस नाथ यादव)

जी, हां।

आलू की खुदाई के उपरान्त ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, विपणन व्यवस्था में सुधार किये जाने तथा सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फॉर पोटैटो व बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के उद्देश्य को समाहित करते हुए उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 शासनादेश संख्या-5/534/58-2014-151/2012-ए-1, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है।

आलू विकास नीति-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 प्रख्यापित की जा चुकी है।

आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में पालीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विचार

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर क्या सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित (अधिसूचना दिनांक 02.07.2011) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 40 माइक्रान से कम मोटाई के पालीथीन कैरी बैग्स आदि के निर्माण एवं उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-3498/नौ-7-2001-11रिट/88 दिनांक 12 जुलाई, 2001 एवं नगर विकास अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-4052/नौ-5-2012-10 रिट 2010 दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा पालीथीन/

प्लास्टिक आदि के उपयोग, संग्रहण, पृथ्थकरण, परिवहन तथा व्ययन आदि के प्रभावी प्रबन्धन हेतु प्रदेश में प्लास्टिक एवं जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है। पालीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना व्यवहारिक न होगा।

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की शासन की नीति

*05-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें भरे जाने हेतु शासन द्वारा क्या नीति बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 633, राजकीय महाविद्यालयों में 742 एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 4249 पद रिक्त हैं।

राज्य विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है। राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के भरे जाने की कार्यवाही राज्य विश्वविद्यालय स्तर से ही परिनियमों में विहित व्यवस्था के अनुसार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियम, 2010 द्वारा शिक्षकों के चयन/अर्हता आदि के मानक संशोधित किये गये थे, तद्नुसार प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम-2014 दिनांक 28 फरवरी, 2014 को अधिसूचित कर दिया गया है तथा अधिनियम में विहित उक्त व्यवस्था को राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है।

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा किया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों हेतु शिक्षकों के नवसृजित 54 पदों को छोड़कर वर्तमान में रिक्त एवं चयन वर्ष 2013-14 व 2014-15 में रिक्त होने वाले पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980 की धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों की चयन प्रक्रिया) विनियमावली, 2014 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लिखित परीक्षा के उपरांत अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा भरे जाने की नीति बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा एवं यमुना नदियों को प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने की जानकारी

*06-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा एवं यमुना नदियों को उद्योगों तथा अन्य माध्यमों से होने वाले प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य योजना कब तक बनायी जायेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में गंगा एवं यमुना नदियों को उद्योगों तथा अन्य माध्यमों से होने वाले प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना प्रथम व द्वितीय चरण के अन्तर्गत गंगा एवं यमुना नदियों में घरेलू सीवेज से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु योजनाएं उ0प्र0 जल निगम एवं स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की गयी हैं एवं वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु जल प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग को अपने प्रदूषित जल को शुद्धीकृत करना होता है। उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह को निर्धारित मानक तक शुद्धीकृत न करने पर उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों के बन्द कराने विषयक जानकारी

*07-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों को बन्द कराने के लिए कारगर प्राविधान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

पिछली सरकार द्वारा बर्खास्त किये गये 52 हजार किसान मित्रों को बहाल कराये जाने की माँग

*08-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार द्वारा बर्खास्त किये गये 52 हजार किसान मित्रों को बहाल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इनकी बहाली कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्याः 1380/12-2-2010-165/2007 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा किसान मित्र योजना समाप्त कर दी गयी है।

अतारांकित प्रश्न

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उद्यान विभाग एवं विद्युत विभाग में प्रबन्धक एवं वरिष्ठ के पदों पर डिप्लोमाधारकों को प्रभारी बनाये जाने का प्रकरण

01-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उद्यान विभाग एवं विद्युत विभाग में प्रबन्धक एवं वरिष्ठ के पदों पर डिप्लोमा धारकों से प्रभारी बनाकर कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर अर्हता के अनुसार नियुक्ति करते हुए अनियमित ढंग से नियुक्त प्रभारियों को हटाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उद्यान संवर्ग-

जी नहीं।

उद्यान विभाग में किसी डिप्लोमाधारक को प्रबंधक एवं वरिष्ठ पदों पर प्रभारी बनाकर कार्य नहीं लिया जा रहा है।

विद्युत संवर्ग-

जी हां।

श्री सत्यपाल भाटी प्रबंधक ग्रेड-1 (डिप्लोमाधारक) के पास वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत का प्रभार है।

श्री सत्यपाल भाटी की प्रबंधक-1 के पद पर नियुक्ति नियमित है। श्री भाटी को पदोन्नति के पद वरिष्ठ प्रबंधक का पदभार किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है, इस संबंध में ग्रेटर नोएडा से वस्तुस्थिति स्पष्ट करायी जा रही है। वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही में एल0वी0 मार्ग गुरगवां से बरैचा तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

02-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में एल0वी0 मार्ग गुरगंवा से बरैचा तक सड़क अत्यन्त जर्जर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही मुख्य मार्ग (एल0वी0 मार्ग) से एक ओर गुरगंवा तक एवं दूसरी ओर बरैचा तक सम्पर्क मार्ग निर्मित है। ग्राम गुरगंवा तक की सड़क का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2002 में कराया गया था। मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया।

तत्पश्चात् ग्राम पराझरसा से ग्राम बरैचा तक का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2001 में कराया गया है, जो कि वर्तमान में मरम्मत योग्य है। मण्डी परिषद् द्वारा स्वयं के स्तर से निर्मित मार्गों का ही मरम्मत कार्य जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति के पास धन की उपलब्धता एवं विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर मरम्मत का कार्य कराया जाना लक्षित है।

एल0 वी0 मार्ग से गुरगवां-बरैचा मार्ग चैनेज 00 से चैनेज 2000 मीटर (2 किमी0) का निर्माण गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 में कराया गया था। आवागमन के कारण मार्ग मरम्मत योग्य है, परन्तु धनाभाव के कारण उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा कराना सम्भव नहीं है।

जनपद बांदा में अतर्रा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को छात्र, शिक्षकगण एवं कर्मचारी के हित में बहाल किये जाने विषयक मा0 वीर सिंह पटेल, सदर विधायक चित्रकूट का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

03-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा जिला बांदा की प्रबन्ध समित को छात्र, शिक्षकगण एवं कर्मचारी के हित में बहाल किये जाने विषयक मा0 वीर सिंह पटेल, सदर विधायक, चित्रकूट का पत्र दिनांक 27-01-2014 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका बरुआसागर के विकास खण्ड बड़ागांव में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की मांग

04-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका बरुआसागर के विकास खण्ड बड़ागांव जिसकी आबादी लगभग 1600 है, में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड बड़ागांव से लगभग 15 कि0मी0 की परिधि में 08 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जहां क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर

उपलब्ध है। अतः जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश के व्यापारियों की समस्या एवं गिरते औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए लीज होल्ड भू-खण्डों को फ्री-होल्ड किये जाने पर सरकारी नीति की जानकारी

05-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के व्यापारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में लीज होल्ड पर दिये गये औद्योगिक भूखण्डों के लीज होल्ड की अनुमन्य शर्तो, उत्पाद परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, विभाजन व उप-विभाजन, पारिवारिक सदस्यों के अलावा अन्य सगे सम्बन्धित को सम्मिलित करना, बीमार इकाई की पुनर्स्थापना करना आदि की जटिल एवं दीर्घ प्रक्रिया के कारण औद्योगिक गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार व्यापारियों की समस्या एवं गिरते औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए लीज होल्ड भू-खण्डों को फ्री-होल्ड किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में लीज होल्ड पर दिये गये औद्योगिक भू-खण्डों के फ्री-होल्ड होने से नियोजित भू-उपयोग के अनुसार नियोजन एवं नियंत्रण में कठिनाई होगी।

श्री सतीश महाना-

06–[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रविदास मेहरोत्रा-

07–[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़, हाथरस तथा आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली करवन नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की कार्य योजना

08-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़, हाथरस तथा आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली करवन नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जल प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) 1974 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जनपद अलीगढ़ में करवन नदी में औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले 11 उद्योग हैं जिसमें से 03 उद्योग बन्द हैं। 07 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है एवं मानकों के अनुरूप संचालित हैं। 01 उद्योग मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ में उत्प्रवाह शुद्धिकरण मानकों के अनुरूप नहीं है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 28-04-2014 द्वारा उद्योग की सहमति अस्वीकार कर दी गयी है। वर्तमान में उद्योग आफ सीजन होने के कारण बन्द है। आगरा में करवन नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाला कोई उद्योग स्थापित नहीं है।

करवन नदी में अलीगढ़ शहर का सीवेज निस्तारित होता है, जिसके शुद्धीकरण हेतु नगर निगम अलीगढ़ द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित नहीं किया गया है। करवन नदी में हाथरस शहर का सीवेज निस्तारित होता है। जिसकी शुद्धीकरण हेतु नगर निकाय हाथरस द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित नहीं किया गया है। आगरा के ट्रान्स यमुना स्थिति कालिन्दी विहार के घरेलू सीवेज शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित है, जो विद्युत विच्छेदन के कारण वर्तमान में बन्द है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

09–[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में आदिवासी समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजनाओं की जानकारी

10-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 5000 से अधिक है और इनकी हालत दयनीय है? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी कार्य योजना बनायेगी जिससे इस समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रदेश में विभिन्न योजनायें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अत्यधिक निर्धन, असहाय, बेसहारा एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये समाजवादी पेंशन दिये जाने के संबंध में जानकारी

11-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अत्यधिक निर्धन, असहाय, बेसहारा एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना शुरू कर रही है? यदि हां, तो जांच उपरान्त पात्र लोगों को कब से पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने तथा उसके संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07-02-2014 निर्गत कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु स्टेडियम बनाये जाने की मांग

12-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु किसी तहसील में स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की योजना राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की सरकार की योजना

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के समस्त विकास खण्डों में समस्त पात्र बी0पी0एल0 कार्डधारक वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की स्थिति की जानकारी

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक ऐसे वृद्ध हैं जिन्हें पात्र होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है? क्या सरकार इन सभी का प्रस्ताव करवाकर भारत सरकार को भेजेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद लखीपुर-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के समस्त विकास खण्डों में समस्त पात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारक वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची-2002 में उल्लिखित वृद्धजन तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 मानक के वृद्धजन अर्ह है।

उक्त पात्रता में आने वाले वृद्धजनों को योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी अथवा सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जाती है। अतः भारत सरकार को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने का औचित्य नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

15-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की योजना राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

जनपद पीलीभीत स्थित बालाजी ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों की जाँच व रिकवरी का प्रकरण

16-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2013 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-140 के उत्तर के संदर्भ में क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच कार्यवाही पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए हैं? यदि नहीं, तो जांच कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी तथा विलम्ब के लिये कौन दोषी है तथा उसका विवरण क्या है?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धमार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)-

जी हाँ।

प्रकरण में वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ की आख्यानुसार सहायक रजिस्ट्रार, बरेली द्वारा अवगत कराया है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार बालाजी ट्रस्ट, तहसील बीसलपुर, पीलीभीत के नाम से संस्था पंजीकृत नहीं पायी गयी है। सहायक रजिस्ट्रार बरेली कार्यालय में गढ़ी श्री बालाजी महाराज समिति, ग्राम खमरिया नवदिया, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत दिनांक 12-1-1978 को पंजीकृत हुई थी। संस्था के पंजीकृत स्मृति पत्र के उद्देश्यों में बालाजी ट्रस्ट, बीसलपुर, पीलीभीत के संचालन अथवा उसी सम्पत्ति के प्रबन्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उप जिलाधिकारी, बीसलपुर, जिला पीलीभीत के पत्र दिनांक 22-10-2007 के अनुसार प्रकरण की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार से करायी गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री छेदालाल, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बीसलपुर के विरुद्ध ट्रस्ट की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी जिसके आधार पर सहायक रजिस्ट्रार बरेली के आदेश दिनांक 30-1-2008 द्वारा संस्था गढ़ी श्री बालाजी महाराज समिति, ग्राम खमरिया नवदिया, बीसलपुर, पीलीभीत का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 डी(1)(बी) के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है जिसकी अपील आयुक्त, बरेली मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अभी भी न्यायालय आयुक्त बरेली मण्डल का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के 124, विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष, 2012-2013 एवं 2013-2014 में रानी लक्ष्मीबाई योजना में कितने पात्र व्यक्तियों को पेंशन दी गई तथा कितनों को दिया जाने का प्रस्ताव

17-डा0 अरूण कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के 124, विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में रानी लक्ष्मीबाई योजना में कितने पात्र एवं अर्ह लोगों

को पेंशन दी गई तथा कितने बाकी है, कितने आवेदन अभी तक अनिस्तारित हैं, संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-नं0-247907, दिनांक 28-08-2013 समाज कल्याण अधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

जनपद बरेली के 124, विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत क्रमशः 1770 एवं 1770 व्यक्तियों को पेंशन दी गयी। वर्ष 2013-14 में प्राप्त 276 आवेदन-पत्र अभी अनिस्तारित हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली के कार्यालय पत्र सं0-1934, दिनांक 04-10-2013 द्वारा प्रश्नकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2012-2013 व 2013-2014 में वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

18-डा0 अरूण कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के 124 विधान सभा क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 2012-2013 व 2013-2014 में वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-नं0-247903, दिनांक 28-08-2013 समाज कल्याण अधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र 124 बरेली के पत्रांक-क-5-नं0-247903, दिनांक 28-8-2013 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली के पत्रांक-1935, दिनांक 04-10-2013 द्वारा मा0 विधायक जी को निम्न सूचना प्रेषित की गयीः-

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 124, में वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में क्रमशः 3589 एवं 3763 पात्र व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में प्राप्त 406 नवीन आवेदन-पत्र अनिस्तारित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में गन्ना सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल बीसलपुर पूरनपुर एवं मझौला आदि चीनी मिलों का गन्दा पानी एवं प्रदूषण के कारण जन-जीवन तथा उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव की रोकथाम

19-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में गन्ना सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल बीसलपुर, पूरनपुर एवं मझौला तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिल एल0एच0 शुगर मिल पीलीभीत, बजाज शुगर मिल एवं नोवेल शुगर मिल बरखेड़ाकला, बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल मकसूदापुर

(शाहजहांपुर), डालमियां चीनी मिल निगोही (शाहजहांपुर) द्वारा द्वारिकेश चीनी मिल फरीदपुर, बरेली चीनी मिलों का गन्दा पानी एवं प्रदूषण जन-जीवन तथा उत्पादन को प्रभावित करता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी चीनी मिलों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

गन्ना सहकारी क्षेत्र की मै0 बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बीसलपुर, पीलीभीत, मै0 दि किसान सहाकरी चीनी मिल्स लि0, पूरनपुर, जिला पीलीभीत मै0 दि किसान को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, मझोला पीलीभीत तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिल मै0 एलएच शुगर पीलीभीत, मै0 बजाज हिन्दुस्तान बरखेडा, पीलीभीत, मै0 नोवल शुगर लि0 बरखेडा, पीलीभीत, मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (शुगर यूनिट) मकसूदापुर, शाहजहांपुर मै0 डालमियां चीनी मिल्स, निगोही, शाहजहांपुर एवं मै0 द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज, लि0 ग्राम भगवानपुर फुलवां, फरीदपुर बरेली चीनी उद्योग हैं जो आफ सीजन के कारण वर्तमान में बन्द हैं। सीजन में संचालन के समय उद्योग से जनित गन्दा पानी (औद्योगिक उत्प्रवाह) के प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा उद्योगों का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक गृह संचालित कराने की सरकार की योजना

20-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक गृह संचालित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2008 से लागू व्यवस्थानुसार मंडी समितियों के कर्मचारियों का वेतन व अन्य लाभ समय पर न होने की समस्या

21-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 से लागू व्यवस्थानुसार मंडी समितियों का पैसा लखनऊ मंगवाने के कारण कर्मचारियों को वेतन व अन्य लाभ समय से नहीं मिल पा रहें हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य लाभ समय से दिये जाने हेतु योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश संख्या-4890/12-5-90-600(108)-88, दिनांक 28 दिसम्बर, 1990 द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार मण्डी समितियां परिषद् मुख्यालय को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से धनराशि प्रेषित करती थी, जिसके कारण बैंक द्वारा बैंक कमीशन एवं ब्याज की क्षति होती थी। अतः मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की 128वीं बैठक दिनांक 18.06.2008 के प्रस्ताव संख्या-05 द्वारा मण्डी परिषद्/मण्डी समितियों में निधि प्रबन्धन हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

संचालक मण्डल की 129वीं बैठक दिनांक 4.9.2008 के प्रस्ताव संख्या-10 में यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डी समितियों की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए कमजोर मण्डी समितियों को (अधिष्ठान/यात्रा भत्ता/रखरखाव/सफाई आदि) खर्चों के लिए मण्डी विकास निधि से अनुदान के रूप में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार प्रत्येक वर्ष परिषद् बजट में उक्त हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, मण्डी समितियों द्वारा सम्बन्धित सं0 उप निदेशक (प्रशा0 विप0) के माध्यम से परिषद् मुख्यालय को धन मांग-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। तत्पश्चात समय से वेतनादि के भुगतान हेतु परिषद् मुख्यालय से अनुदान के रूप में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

जी नहीं। योजना उपरोक्तानुसार पूर्व से सृजित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में विकलांग पेंशन के 698 पात्र विकलांगजनों को पेंशन उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

22-श्री दलवीर सिंह-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में विकलांग पेंशन के 698 पात्र लाभार्थियों को आवश्यक धनराशि आवंटन करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-799/रालोद/विमद/2013, दिनांक 18-09-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन्हें पेंशन उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

सभी 698 पात्र विकलांगजन को पेंशन उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बादशाहनगर लखनऊ में लखनऊ में स्थित राजकीय सचिवालय कालोनी न्यू ब्लाक बाह्य मरम्मत, पुताई आदि कराने विषयक

श्री दलवीर सिंह-

23-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी, न्यू ब्लाक, बादशाहनगर, लखनऊ सचिवालय कालोनी की बाह्य पोताई, छज्जा की मरम्मत विगत कई वर्षों से नहीं हुई है? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय कालोनी की बाह्य मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

राजकीय कालोनियों की बाह्य मरम्मत का कार्य अनुरक्षण प्रकृति का है। ऐसे कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं आवासों की भौतिक स्थिति का संज्ञान लेकर आवश्यकतानुसार समय-समय पर कराये जाते रहते हैं।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों में प्रदूषण को रोकने की सरकार की नीति

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या सराकर इसके लिये अन्य विकल्पों के अतिरिक्त वृक्षारोपण को बढ़ावा देगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के शहरों में प्रदूषण के प्रभावी नियन्त्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों यथा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्ध एवं हथालन नियम 2000 परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली, 1989 (संशोधित 2003) यथा संशोधित 2008, ध्वनि नियम आदि का अनुपालन कराया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण के नियन्त्रण के दृष्टिकोण से समस्त प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र, वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र, ध्वनि नियन्त्रण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इसका नियमित निरीक्षण किया जाता है।

जल प्रदूषण का मुख्य श्रोत घरेलू जल मल का अशोधित अवस्था में निस्तारण किया जाना है। प्रदेश में घरेलू जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना कराई जाती है।

शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य श्रोत वाहन प्रदूषण है। शहरों में वायु प्रदूषण के नियन्त्रण एवं वायु गुणता स्वच्छ रखने के उद्देश्य से वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 के आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। साथ ही सम्बन्धित विभागों द्वारा वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच किया जाना, वाहनों के संचालन हेतु अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा निर्धारित किया जाना आदि कार्य किये जाते हैं।

शहरों में वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 20 शहरों में 52 बिन्दुओं पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जाता है।

प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, गोमती, वरूणा, काली, रामगंगा, सई, हिण्डन, सरयू, घाघरा आदि की जल गुणता का अनुश्रवण 53 बिन्दुओं पर किया जाता है।

वृक्षारोपण किया जाना पर्यावरणीय गुणता में सुधार के उद्देश्य से लाभाकारी एवं सहायक होता है। प्रदेश में वृक्षारोपण की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है।

किसान बीमा योजना सम्बन्धी सरकार की नीति

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'किसान बीमा योजना' सम्बन्धी क्या नीति है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दैवीय आपदा से या अन्य किसी वैधानिक कारण से अगर फसल बर्बाद/नष्ट हो जाती है तो किसान को भुखमरी से बचाने के लिये 'कृषक बीमा योजना' के अन्तर्गत मुआवजे की व्यवस्था करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

कृषि विभाग द्वारा ''किसान बीमा योजना'' नाम से बीमा योजना संचालित नहीं की जाती है बल्कि फसल बीमा योजना संचालित की जाती है।

रबी 2013-14 से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत घटक के रूप में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश के जनपदों में लागू किया गया है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से अधिसूचित फसल नष्ट होने अथवा बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में बीमा आच्छादन के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना में प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से अधिसूचित फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा आच्छादन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना की विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे पेंशन की धनराशि के बराबर देने के प्रकरण पर जानकारी

26-डा0 अरुण कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पांच सौ रुपये प्रति माह देने का निर्णय सरकार ने लिया है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे पेंशन की धनराशि को एक समान रूप से देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

पेंशन योजना की प्रकृति एवं योजनाओं के राज्य/केन्द्र पोषित होने के परिणामस्वरूप पेंशन की धनराशि को एक समान रूप से दिया जाना सम्भव नहीं है।

बरेली महानगर में सब्जी की खेती करने वालों को कितना अनुदान दिये जाने का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान

27-डा0 अरुण कुमार-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में सब्जी की खेती करने वालों को कितना अनुदान दिये जाने का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित किया गया है? सरकार द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कितने लोगों को अब तक अनुदान दिया गया है तथा कितने शेष हैं? शेष को अनुदान कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री पारसनाथ यादव-

बरेली महानगर में सब्जी की खेती की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, अपितु जनपद बरेली में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हाईब्रिड शिमला मिर्च, हाईब्रिड बन्दगोभी, हाईब्रिड कद्दूवर्गीय सब्जियों हेतु 50 हे0 का भौतिक लक्ष्य एवं 10.00 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसमें प्रति हेक्टेयर रू0-20,000.00 का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु औद्यानिक विकास योजना में 9.5 हे0 का भौतिक एवं रु0 3.11250 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के महानगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का नवीनीकरण/विस्तारीकरण की सरकार की योजना

28-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बरेली के महानगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम का नवीनीकरण/विस्तारीकरण कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा जनपद बरेली में स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए रू0 485.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-2014 में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की नीति की जानकारी

29-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बाताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की क्या नीति है? विगत दो वर्षों में प्रदेश में अब तक कितनी बड़ी औद्योगिक इकाइयां किन-किन जगहों पर स्थापित हुई? क्या सरकार के पास प्रदेश में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनाई गयी है।

विगत दो वर्षों में 61 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ जनपद-कानपुर देहात, फतेहपुर, वाराणसी, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद, रामपुर, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर एवं मेरठ में स्थापित हुयीं हैं।

जी हाँ।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अनेक उद्यमियों द्वारा इच्छा-पत्र दाखिल किये गये हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रू0 28396.31 करोड़ के पूँजी निवेश से स्थापित होने वाले 303 इच्छा-पत्र दाखिल किये गये हैं।

दिनांक 12-06-2014 को नई दिल्ली में आयोजित 'इन्वेस्टर कान्क्लेव' में कई निवेशकों ने प्रदेश में निवेश हेतु इच्छा व्यक्त की, जिनमें लगभग रू0 54,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

बरेली महानगर के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में विकलांगजनों को ट्राईसाइकिल उपकरणों के वितरण की जानकारी

30-डा0 अरुण कुमार-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली के 124, शहर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विकलांगों को दिये जाने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी विषयक पत्र संख्या-ख-5-नं0-238864, दिनांक 30-8-2013, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जनपद-बरेली को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

बरेली महानगर के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 45 विकलांगजन को तथा वर्ष 2013-14 में 16 विकलांगजन को ट्राईसाइकिल तथा अन्य उपकरण दिये गये।

दिनांक 01-9-2013 के बाद 16 आवेदनकर्ता पात्र पाये गये, जिन्हें विकलांगता के अनुसार उपकरण प्रदान कर दिये गये हैं। प्रतीक्षा सूची में कोई शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्ष 2013 में उससे सम्बन्धित विद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्रों में वंचित छात्रों को एडमीशन का मामला

31-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा उससे सम्बद्ध विद्यालयों में कितने छात्रों ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन किया था और कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? क्या प्रवेश से वंचित छात्रों की शिक्षा के लिये सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में वर्ष 2013 में स्नातक कक्षाओं हेतु कुल 1,94,545 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा 1,09,540 छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश दिया गया।

प्रवेश से वंचित छात्रों हेतु राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत सीट वृद्धि हेतु शासनादेश दिनांक 07 अगस्त, 2013 द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में कृषि उप मण्डी, फल मण्डी, सब्जी मण्डी से खराब बचे अपशिष्टों के कारण व्याप्त गन्दगी को दूर किये जाने की मांग

32-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में कृषि उप मण्डी, फल मण्डी, सब्जी मण्डी एक ही कैम्पस में बस अड्डा के समीप स्थित हैं जिससे फलों एवं सब्जियों के अपशिष्ट भागों को उचित प्रबन्धन न होने से मण्डी परिसर में ही जला दिया जाता है, जिससे अत्यधिक गंदगी व्याप्त रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मण्डी को शहर के बाहर अन्यत्र स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-झाँसी में गल्ला-मण्डी, फल मण्डी तथा सब्जी मण्डी अलग-अलग कैम्पस में स्थित हैं। जो एक-दूसरे के समीप हैं। फलों और सब्जियों के अपशिष्ट भागों की सफाई के लिए सफाई ठेकेदार नियुक्त हैं, जिनके द्वारा दैनिक रूप से सफाई के पश्चात मण्डी से निकले अपशिष्ट को शहरी सीमा से दूर नगर निगम के निर्धारित कूड़ा घरों पर डाला जाता है।

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्तमान समय में विशिष्ट मण्डी का निर्माण विचाराधीन है। उसके बनने पर शहर क्षेत्र में स्थित पुरानी मण्डी पर भीड़ और यातायात का दबाव स्वयं ही कम हो जायेगा।

उपरोक्तानुसर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में शहर की सीमा से लगे अलीगढ़ नाले में पशु वधशालाओं से निकली गन्दगी को शोधित करके डालने का प्रकरण

33-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में शहर की सीमा से लगे अलीगढ़ नाले में पशु वधशालाओं द्वारा बिना शोधित मल डालने से सिल्ट व कट्टी मलवा एकत्रित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में शहर की सीमा से लगे अलीगढ़ नाले में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले 06 पशु वधशालायें स्थापित हैं। इन पशु वधशाला उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनके माध्यम से औद्योगिक उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत करने के उपरान्त अलीगढ़ ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। अलीगढ़ ड्रेन सिंचाई विभाग के अधीन आती है। अलीगढ़ ड्रेन की सफाई समय-समय पर पशु वधशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर की जाती है।

रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में बड़ागाँव में संचालित डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट से आस-पास की जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार क्षीण होने के कारण उसके निराकरण की योजना की जानकारी

34-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बड़ागाँव में संचालित डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट से आसपास बराटा, मडोरा, छपरा, गोरा महिया, हाजीपुरा, गढ़मऊ गांव के जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार क्षीण हो रही है एवं आम जनमानस में श्वांस सम्बन्धी विकार उत्पन्न हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 डायमण्ड सीमेन्ट (हेडलबर्ग इण्डिया लि0) फैक्ट्री से सीमेन्ट के उत्पादन के दौरान जनित डस्ट के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित है। दिनांक 29-5-2014 को मै0 डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री के चिमनी से निस्तारित गैसीय उत्सर्जकों एवं उद्योग परिसर की

परिवेशीय वायु गुणता की जांच में विभिन्न प्रदूषक प्रचालक राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गये हैं। उद्योग के आस-पास स्थित गांवों की जमीनों की उर्वरा शक्ति क्षीण होने के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी के पत्र दिनांक 13-02-2014 के अनुसार ऐसी शिकायत कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुयी है एवं आम जनमानस के जन स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार के सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र दिनांक 10-02-2014 के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र जनमानस द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर से निकलने वाली कोयला की धूल से आस-पास की भूमि अनउपजाऊ की समस्या तथा जन जीवन के संकट को दूर करने विषयक

35-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में स्थित पारीक्षा थर्मल पावर से निकलने वाली कोयला की धूल से आस-पास स्थित गांव, रिछोर, गुलारा, बराटा, धर्मपुरा, जौरी खुर्द, जौरी बुजुर्ग की भूमि अनउपजाऊ हो गई है तथा वहां का जनजीवन संकट में पड़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण नियमों के पालन हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 पारीछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट पारीछा उद्योग में 2x250 मेगावाट, 2x210 मेगावाट एवं 2x110 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें कोयले के दहन से जनित वायु प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु स्थापित इलेक्ट्रो स्टेटि कप्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) के साथ क्रमशः 275 मी0, 220 मी0 एवं 120 मी0 ऊंची आरसीसी चिमनियां स्थापित हैं। वर्तमान में 2x250 मेगावाट, 2x210 मेगावाट की चारों इकाइयां उत्पादनरत हैं। थर्मल पावर संयंत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया है कि 2x250 मेगावाट इकाई की इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) के फील्ड के कुछ इलेक्ट्रोड क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण नियन्त्रण मानकों के अनुरूप नहीं है, उक्त के रेस्टोरेशन का कार्य माह सितम्बर, 2014 में प्रस्तावित ओवरहालिंग के दौरान कराया जाना है तत्पश्चात् इस इकाई के उत्सर्जन को मानकों के अनुरूप कराया जा सकेगा।

जिला कृषि अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ग्रामों से भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने सम्बन्धी कोई शिकायत कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी बबीना विधान सभा क्षेत्र के टहरौली के विकासखण्ड चिरगांव में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने की मांग

36-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी बबीना विधान सभा के टहरौली के विकास खण्ड चिरगांव में राजकीय महिला विद्यालय नहीं है ? क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु इस क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड टहरौली में 01 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड बड़ागाँव से लगभग 15 किमी0 की परिधि में 08 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जहाँ क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद झाँसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागाँव में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत बहागांव में राजकीय महिला महाविद्यालय के स्थापना का मांग

37-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र नगर-पंचायत बहागांव में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो बालिकाओं की शिक्षा हेतु क्या सरकार इस क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के नगर-पंचायत बहागांव में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त नगर-पंचायत बहागांव से लगभग 15 किमी0 की परिधि में 08 महाविद्यालय तथा 10 किमी0 की दूरी पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी संचालित हैं, जहाँ क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद झाँसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के नगर-पंचायत बहागांव में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक गृह संचालित कराने की सरकार की योजना की जानकारी

38-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत राजकीय शिक्षक गृह संचालित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुम्भी एवं अजबापुर चीनी मिलों से निकलने वाले अवशेषों से फैल रही जानलेवा बीमारी की समस्या के निदान हेतु सरकार की योजना

39-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुम्भी एवं अजबापुर चीनी मिलों से निकलने वाले अवशेषों जिनमें धुंआ, कूड़ा व गन्धकयुक्त जहरीला पानी को पड़ोस के गांवों में खुली जगहों व सार्वजनिक नालों द्वारा जमीन पर छोड़ने से जानलेवा बीमारी का ग्रामीण शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश स्तरीय जांच एजेन्सी से जांच कराकर उक्त समस्या को रोकने की कोई योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 कुम्भी चीनी मिल, कुम्भी जनपद लखीमपुर खीरी में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा संचालित है। उद्योग से निकलने वाले उत्प्रवाह का नमूना मानको के अनुरूप पाया गया है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु वेट स्क्रबर के साथ 65 मी0 ऊँची आर0सी0सी0 चिमनी स्थापित है। जो मानकों के अनुरूप है।

अजबापुर स्थित मै0 डी0एस0सी0एल0 शुगर मिल में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा संचालित है। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का उपयोग परिसर में ही सिंचाई, फायर फाइटिंग, बैकास पर छिड़काव हेतु किया जाता है तथा परिसर के बाहर उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जाता है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु वेट स्क्रबर तथा ई0एस0पी0 के साथ 55 मी0 व 65 मी0 ऊँची आर0सी0सी0 की चिमनियां स्थापित हैं। जो मानकों के अनुरूप हैं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी द्वारा ग्रामीणों के जानलेवा बीमारी के शिकार नहीं होने की सूचना दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

यमुना एक्सप्रेस-वे अलीगढ़ को सीधा जोड़ने की सरकार की योजना की जानकारी

40-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे अलीगढ़ को सीधा जोड़ने हेतु सरकार किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निष्पादित कन्सेशशन एग्रीमेंट में कोई प्राविधान नहीं है।

अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा, जिला बांदा की प्रबंध समिति छात्रगण/शिक्षकगणों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा संबंधी श्री बाल कुमार पटेल सदस्य लोक सभा का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाल कुमार पटेल, सदस्य, लोक सभा का कम्प्यूटर पत्र सं0-पी0जी0ओ0-9421609, दिनांक 07-02-2014 जो अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा, जिला-बांदा की प्रबन्ध समिति को छात्रगण, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों के हित में बहाल किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किन-किन जिलों में मछली मण्डी बनाये जाने की परियोजना तथा सरकार द्वारा योजना पूर्ति हेतु उठाये गये प्रभावी कदम की जानकारी

42-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में मछली मण्डी बनाने हेतु परियोजना बनायी जा चुकी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बजट सत्र में दिनांक 14 मार्च, 2013 को अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) चर्चा के दौरान

मा0 मंत्री अम्बिका चौधरी जी ने मछली मण्डी बनाने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान देकर निर्माण कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

प्रदेश में भारत सरकार की संस्था ''राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड (एन0 एफ0 डी0 बी0) हैदराबाद'' के सहयोग से लखनऊ एवं हस्तिनापुर (मेरठ) मत्स्य बाजार के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव एन0एफ0डी0बी0 द्वारा स्वीकृत हो चुका है। उक्त परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कुल परियोजना अंश का 90 प्रतिशत अंश एन0एफ0डी0बी0 स्तर से तथा 10 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के स्तर से वहन किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु एकल विन्डों सिस्टम लागू कराने की मांग

43-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगों के विकास हेतु सरकार के प्रयास के सापेक्ष प्रगति का ग्राफ काफी नीचे है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रगति का ग्राफ उच्चतम करने के लिये 'एकल विन्डो सिस्टम' लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वर्ष 2012-13 में रु0 6659.55 करोड़ व वर्ष 2013-14 में रु0 5213.03 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है।

उद्योगों को त्वरित स्वीकृतियाँ एवं शीघ्र अनापत्ति प्रदान कराये जाने हेतु प्रदेश में वेब बेस्ड सिंगल विन्डो सिस्टम व्यवस्था (निवेश मित्र) लागू है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपदवार विमुक्त जाति की श्रेणी में शामिल की गई विमुक्त जातियों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित करने की मांग

44-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपदवार विमुक्त जाति की श्रेणी में कौन-कौन सी उपजातियां सम्मिलित की गयी है तथा उनके लिये क्या मानक निर्धारित किये गये है ? क्या सरकार शिक्षा के अतिरिक्त नौकरियों में आरक्षण देने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शासनादेश संख्या-22सी0एम0/26-3-2013, दिनांक 10-6-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पायी जाने वाली विमुक्त जातियों को वर्गीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्गीकृत

विमुक्त जातियों के किसी उपजाति का उल्लेख नहीं है। अतः उनके लिये कोई मानक निर्धारित नहीं है।

विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जातियां पृथक-पृथक मौलिक रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति अथवा सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आच्छादित हैं, तदनुरूप अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाली जातियों को अनुसूचित जातियों के लिये अनुमन्य आरक्षण तथा पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों को पिछड़े वर्ग के लिये अनुमन्य आरक्षण प्रदत्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की तर्ज पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से आर्थिक सहायता दिलाने की योजना की जानकारी

45-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिये महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की तर्ज पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आर्थिक सहायता दिलाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद-

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत सरकार का उपक्रम है जिसके द्वारा प्रदेश की पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिये योजना पूर्व से ही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वैदौरा विकास खण्ड में बालिकाओं के लिये राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

46-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वैदौरा वि0 खण्ड-बबीना क्षेत्र की आबादी में लगभग 1000 बालिकाओं को शिक्षा हेतु महाविद्यालय न होने के कारण अन्यत्र जाना होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, झाँसी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा वर्ष 2012 के बी0टेक0 प्रथम वर्ष के अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक जाति के छात्र-छात्राओं की फीस/ छात्रवृत्ति की वापसी का प्रकरण

47-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, झांसी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा वर्ष 2012 के बी0टेक0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक जाति के छात्र-छात्राओं से प्रथम सेमिस्टर एवं द्वितीय सेमिस्टर की फीस जमा करा ली गयी है, परन्तु अभी तक सरकार द्वारा उक्त छात्र-छात्राओं की फीस एवं छात्रवृत्ति उनके खातों में स्थानान्तरित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा फीस एवं छात्रवृत्ति उनके खातों में कब तक स्थानान्तरित की जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद एवं झांसी सहित प्रदेश के जिलों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेजों में वर्ष 2012-13 में बी0टेक0 प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्राविधान था। एन0आई0सी0 की सम्बन्धित छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा के अनुसार पात्रतानुसार एवं सत्यापनोपरान्त जनपद गाजियाबाद एवं झांसी सहित प्रदेश के जिलों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेजों में वर्ष 2012-13 में बी0टेक0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फीस एवं छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अन्तरित कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 के अनुसार निर्धारित वरीयता क्रम के क, ख एवं ग श्रेणी के छात्रों को ही दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सकी, जिसमें प्रदेश के जिलों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालेजों के बी0टेक0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी सम्मिलित हैं। वरीयता क्रम में घ एवं च श्रेणी से आच्छादित छात्रों को बजट सीमित होने के कारण दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्रदान की जा सकी। नियमावली के बिन्दु-11(4) में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जाएंगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भारत सरकार की शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने

के अनेकों प्रयासों के बावजूद प्रदेश को निर्धारित अंश प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण सभी छात्र/ छात्राओं को योजना का लाभ नहीं प्राप्त होता है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। निर्धारित वरीयता क्रम के श्रेणी ग, घ एवं च श्रेणी से आच्छादित सभी छात्रों को बजट सीमित होने के कारण दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकी, जिसमें प्रदेश के जनपदों में संचालित इंजीनियरिंग कालेजों के बी0टेक0 में अध्ययनरत छात्र भी सम्मिलित हैं। उक्त नियमावली के प्रस्तर-11(4) के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रणीत नहीं होंगी।

''जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना'' के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत ब्लाक-राया, बल्देव एवं फरह के 15 ग्रामों के चयनित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-7-2003 के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय से कृत कार्यवाही की जानकारी

48-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-7-2013 के सन्दर्भ में प्रदेश के कृषकों के कल्याणार्थ ''जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना'' के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत ब्लाक-राया, बल्देव एवं फरह के 15 ग्रामों के चयनित करने का मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर सं0-पी0जी0आई0ओ0 314352 दिनांक 19.07.2013 में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र में उल्लिखित ग्रामों के चयन हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का गन्दा पानी खरका नदी एवं सण्डा नदी में बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल वरखेड़ा कला (पीलीभीत), बजाज चीनी मिल मकसूदापुर (शाहजहाँपुर) आदि गन्दा पानी खन्नौत नदी में उत्प्रवाहित पानी को शुद्धीकृत कर प्रवाहित किये जाने की माँग

49-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत का गन्दा पानी खरका नदी एवं सण्डा नदी में, बजाज हिन्दुस्तान चीनी मिल वरखेड़ाकला (पीलीभीत) एवं नोवल शुगर इकाई बरखेड़ाकला (पीलीभीत) का गन्दा पानी दियोहा नदी एवं अमेड़ी नदी में बजाज चीनी मिल मकसूदापुर (शाहजहांपुर) का गन्दा पानी खन्नौत नदी में एवं डालमिया चीनी मिल निगोही (शाहजहांपुर) का गन्दा पानी कैनुआं नदी एवं कटना नदी में प्रवाहित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने की सरकार की कोई योजना है? क्या यह भी सत्य है

कि उक्त चीनी मिलों की राखी व मैला के प्रदूषण से जन-जीवन, फसलें एवं पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 एल0एच0 शुगर फैक्ट्री पीलीभीत, मै0 बजाज चीनी मिल बरखेडाकलां पीलीभीत, मै0 नोवल शुगर लि0 बरखेडाकलां पीलीभीत, मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (चीनी मिल) मकसूदापुर शाहजहांपुर एवं मै0 डालमियां चीनी मिल, निगोही, शाहजहांपुर चीनी उद्योग हैं। जो वर्तमान में आफ सीजन होने के कारण बन्द हैं। सीजन में संचालन के समय उद्योग से जनित गन्दा पानी (औद्योगिक उत्प्रवाह) के प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र उक्त समस्त उद्योगों में स्थापित है तथा उद्योग का उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर प्रवाहित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों की राखी से जन-जीवन, फसलें एवं पेड़-पौधे प्रभावित होने की सूचना नहीं है। चीनी मिलों की मैली (प्रेस मॅड) उपयोग किसानों द्वारा खाद के रूप में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित फतेहाबाद मार्ग, श्यामों मोड़ से बजहेरा नहर तक व बजहेरा नहर से बेहटा सुजगई बिसेरा कला इरादत नगर तक क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को मरम्मत कराने विषयक

50-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित फतेहाबाद मार्ग, श्यामों मोड़ से बजहेरा नहर तक व बजहेरा नहर से बहेटा सुजगई बिसेरा कला इरादत नगर मार्ग तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बहेटा सुजगई, बिसेरा कला इरादत नगर मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कराया गया था। समयान्तराल के कारण वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है। शेष भाग मण्डी परिषद् से निर्मित नहीं है।

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्ग की मरम्मत हेतु जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने, मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत इसकी मरम्मत हेतु विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मत्स्य विभाग के कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु तालाबों का बीमा कराने की सरकार की योजना की जानकारी

51-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के मत्स्य विभाग कार्यक्रम को बढ़ाने हेतु कितने तालाब कहां-कहां है ? क्या सरकार इन तालाबों का बीमा कराने की कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद-

जनपद लखीमपुर खीरी में मत्स्य पालन योग्य तालाब विभिन्न ग्राम सभाओं में स्थित हैं। जनपद में ग्राम सभाओं में निहित तालाबों की संख्या-3146 एवं क्षेत्रफल 2110.79 हेक्टेयर है।

जी नहीं।

प्रदेश में मत्स्य पालकों के तालाबों/पोखरों में पाली जाने वाली देशी प्रजाति की कार्प मछलियां यथा कतला, रोहू, नैन तथा विदेशी प्रजाति की मछलियाँ यथा-सिल्वरकार्प, ग्रासकार्प, कामनकार्प के मत्स्य उत्पादकों के बीमा की योजना नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आदि द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही हैं। जिसमें मत्स्य पालकों के ऐच्छिक आधार पर मत्स्य उत्पादों का बीमा किया जाता है।

प्रदेश के महाविद्यालयों, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में वर्ष 2012-13 की छात्रवृत्ति का भुगतान कराने सम्बन्धी प्रकरण

52-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में वर्ष 2012-13 की छात्रवृत्ति का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान वेबसाइट पर अपलोड छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा के अनुरूप जनपद स्तर पर पात्रतानुसार एवं वास्तविक सत्यापनोपरान्त छात्र/छात्राओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जा चुका है।

वर्ष 2012-13 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वेबसाइट पर अपलोड डाटा के सापेक्ष नियमावली में निर्धारित वरीयता श्रेणी के अनुसार उपलब्ध धनराशि की सीमा

तक जनपद स्तर पर वास्तविक सत्यापनोपरान्त भुगतान कर दिया गया है। उ0प्र0 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012 में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त माने जाने एवं अग्रेनीत न होने का प्राविधान है। तद्नुसार वर्ष 2012-13 की अवशेष सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जनपद शाहजहाँपुर के जलालाबाद की गल्ला मण्डी के पूर्वी गेट से फर्रुखाबाद मार्ग को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क को मरम्मत करने विषयक

53-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद की गल्ला मण्डी के पूर्वी गेट से फर्रुखाबाद मार्ग को जोड़ने वाली सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। समयान्तराल, आबादी भाग होने एवं अत्यधिक आवागमन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी समिति, जलालाबाद की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में संचालित स्टोन क्रेशर उद्योग व्यापक पैमाने पर रोड के किनारे आवासीय कालोनियों के नजदीक संचालित होने से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रकरण

54-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में संचालित स्टोन क्रेशर उद्योग व्यापक पैमाने पर रोड के किनारे, आवासीय कालोनियों के नजदीक संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वायु प्रदूषण एवं प्रदूषित उत्प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु इन उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अधीन कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद झांसी में झांसी-कानपुर राजमार्ग पर 06, झांसी-खजुराहो राजमार्ग पर 04, झांसी शिवपुरी राजमार्ग पर 01 एवं झांसी-सागर राजमार्ग पर 01 स्टोन क्रेशर स्थापित हैं। अन्य राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्टोन क्रेशर स्थापित व संचालित नहीं हैं। उपरोक्त 12 स्टोन क्रेशर्स में से

04 स्टोन क्रेशर जिनमें नियमानुसार वांछित वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित नहीं है, के विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 की धारा 312-ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी की कार्यवाही की गयी है। 01 स्टोन क्रेशर स्वतः के कारणों से बन्द है। शेष 07 स्टोन क्रेशर में मानकों के अनुरूप वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु वांछित व्यवस्था स्थापित है तथा इन इकाइयों में वायु प्रदूषण, मानकों के अनुरूप नियन्त्रित है। उपरोक्त स्टोन क्रेशर्स आवासीय कालोनियों के नजदीक स्थापित/संचालित नहीं हैं। उपरोक्त सभी स्टोन क्रेशर्स लगभग 20 वर्षों से स्थापित हैं। राजमार्ग पर स्थित संचालित स्टोन क्रेशर्स में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर्स सिस्टम, वाइब्रेटर स्क्रीन कवर, टेलिस्कोपिक स्यूट, जीरा रोड की व्यवस्था किया गया है। स्टोन क्रेशर्स इकाइयों में जल का उपयोग धूल को नियन्त्रित करने हेतु छिड़काव में प्रयोग किया जाता है। स्टोन क्रेशर्स में जल प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है एवं न ही औद्योगिक प्रक्रिया से प्रदूषित उत्प्रवाह जनित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा विकसित तकनीकी के उपयोग हेतु सरकार स्नातक कृषि अभियन्ताओं बी0टेक0 (एजी) की नियुक्ति हेतु नीति निर्धारित करने का मामला

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा विकसित तकनीकी के उपयोग हेतु सरकार स्नातक कृषि अभियन्ताओं बी0टेक0 (एजी) के नियुक्ति हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा विकसित तकनीकी के उपयोग हेतु कृषि अभियन्ताओं बी0टेक0 (एजी) के नियुक्ति हेतु उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-'ख' सेवा नियमावली, 1995 के अनुसार उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 अभियंत्रण शाखा के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता'' निर्धारित है। अतएव पूर्व से ही व्यवस्था विद्यमान है।

प्रदेश में किसानों को खाद एवं उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराने के लिये सरकार की कार्य योजना तथा उसकी रूपरेखा तैयार किये जाने विषयक

56-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को खाद एवं उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

प्रदेश के किसानों को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) तक उन्नतशील बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु पंचवर्षीय सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर एस0आर0आर0/प्रजाति प्रतिस्थापन दर के आधार पर फसलवार/प्रजातिवार बीजों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। गुणवत्तायुक्त उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी बीज उत्पादक संस्थाओं से (मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैंडिग) एम0ओ0यू0 करते हुए बीज उत्पादन कराया जा रहा है।

प्रदेश के किसानों को सही समय पर एवं सही दाम पर उन्नतशील प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो इसके लिए विभिन्न फसलों की प्रजातियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है:-

1	प्रमोशनल श्रेणी	10 वर्ष तक अधिसूचित
2	मेन्टीनेंस श्रेणी	10-15 वर्ष तक की अधिसूचति
3	फेज आउट	15 वर्ष से अधिक की प्रजातियाँ

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रत्येक खरीफ एवं रबी सीजन से पूर्व भारत सरकार के स्तर पर जोनल कांफ्रेंस आयोजित की जाती है जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की उर्वरक आवश्यकता के दृष्टिगत अपनी मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रदेश की मांग के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की खपत, देश में उर्वरकों की सम्भावित उपलब्धता आदि के आधार पर आपूर्ति किये जाने वाली उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। चालू खरीफ, 2014 हेतु आयोजित जोनल कान्फ्रेंस में प्रदेश सरकार द्वारा 32.00 लाख मी0टन यूरिया, 11.50 लाख मी0 टन डी0ए0पी0, 7.00 लाख मी0 टन एन0पी0के0 एवं 2.00 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 की मांग की गयी थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख मी0 टन यूरिया, 7.50 लाख मी0 टन डी0ए0पी0, 4.00 लाख मी0 टन एन0पी0के0 एवं 0.75 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 की आपूर्ति हेतु सहमति व्यक्त की गयी। भारत सरकार से प्राप्त सहमति के आधार पर विभिन्न उर्वरकों के जनपदवार वितरण के लक्ष्य निर्धारित कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। प्रदेश में जनपदवार उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षक राजकीय उद्यान, आलमबाग, लखनऊ के अधीन कार्यरत 40 दैनिक कर्मियों को वर्ष 2012-13 के बोनस का अभी तक भुगतान न होने की स्थिति की जानकारी

57-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक, राजकीय उद्यान, आलमबाग, लखनऊ के अधीन कार्यरत 40 दैनिक कर्मियों को वर्ष 2012-13 के बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया

गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त देय बोनस का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारसनाथ यादव-

जी हाँ।

नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री सतीश महाना-

[1ले सोमवार के अता0प्र0स0-129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में स्थित ऐतिहासिक सिद्धेश्वर शिव मन्दिर के जीर्णोद्धार कराने की माँग

59-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में स्थित ऐतिहासिक सिद्धेश्वर शिव मन्दिर अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्र)-

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा नगर में श्री सिद्धेश्वर शिव मन्दिर, नगर पालिका परिषद् खुर्जा की वर्तमान सीमा से बाहर है। वर्तमान में उक्त शिव मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

उक्त शिव मन्दिर गुसांई सम्प्रदाय के निजी स्वामित्व में होने के कारण जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालय डॉ0 अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय, रामनगर जगदीशपुरा, आगरा के सहायक अध्यापक स्व0 श्री महेश चन्द्र माथुर की विधवा को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दिये जाने विषयक

60-श्री काली चरन सुमन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक व कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में डॉ0 अम्बेडकर इस्टी0 प्राथमिक विद्यालय रामनगर जगदीशपुरा आगरा के स्व0 महेश चन्द्र माथुर सहायक अध्यापक की विधवा पत्नी को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवाकाल में निधन हो जाने पर उनके आश्रितों पर उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) लागू नहीं होती है, क्योंकि यह अध्यापक सरकारी सेवक नहीं हैं और उनकी नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा की जाती है। अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालय डॉ0 अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय, रामनगर जगदीशपुरा, आगरा के सहायक अध्यापक स्व0 श्री महेशचन्द्र माथुर की विधवा पत्नी को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके मुखिया के निधन हो जाने पर निराश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप मे दी जाने वाली धनराशि महंगाई को देखते हुए 20,000.00 से अधिक बढ़ाये जाने की माँग

61-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, के निराश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि 20,000 रुपये को मंहगाई को देखते हुए बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत पूर्व में प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता रु0 20,000.00 की धनराशि में संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-1881/26-2-2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो, की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को रु0 30,000/- (रुपये-तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि अधिक बढ़ाये जाने की माँग

62-श्री सतीश महाना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की कितनी धनराशि दी जा रही है ? क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए उसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत (60 वर्ष से 79 वर्ष तक) की आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 200/- (केन्द्रांश के रूप में) एवं रु0 100/- (राज्यांश के रूप में) प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अर्थात् कुल रु0 300/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी दिया जाना अनुमन्य है। भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को (केन्द्रांश के रूप में) रु0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

जी नहीं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्नकर्ता श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य को आवंटित विधायक निवास बी ब्लाक, जी-3 ओ0सी0आर0 लखनऊ की मरम्मत करने विषयक प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

63-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को आवंटित विधायक निवास बी ब्लाक, जी-3, ओ0सी0आर0 लखनऊ की मरम्मत हेतु प्राक्कलन पत्रांक-1165/बी-47/2012, दिनांक 16-03-2013 जे0ई0 सिविल अनुरक्षण खण्ड-3 के द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राक्कलन को स्वीकृत कर मरम्मत आदि कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

64-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये वर्तमान सरकार की नीति की जानकारी तथा रूहेलखण्ड में नये उद्योगों के निवेश के लिए प्रोत्साहन योजना बनाये जाने की जानकारी

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान सरकार की क्या नीति है ? वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक कितना निवेश नये उद्योगों में हुआ है? क्या सरकार ने रूहेलखण्ड में नये उद्योगों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनाई है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मार्च, 2014 तक रु0 11872.58 करोड़ का निवेश हुआ है।

जी हाँ।

रूहेलखण्ड सहित पूरे प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 बनाई गई है। योजनान्तर्गत दी गयी मुख्य सुविधायें निम्नवत् है :-

- रूहेलखण्ड सहित पूरे प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012** बनाई गई है। योजनान्तर्गत रूहेलखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाइयां व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयां जिनमें रु0 5 करोड़ या अधिक का स्थायी पूंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाइयों को छोड़कर अन्य समस्या ऐसी नयी इकाइयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें स्थायी पूंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रु0 12.5 करोड़ या अधिक किया गया हो, को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद एकमुश्त रूप में देय होगा।
- **अवस्थापना ब्याज उपादान योजना** के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, जल-निकासी, पावर लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु0 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है।
- **ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना** के अन्तर्गत ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों को जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये ई0पी0एफ0 की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अलग तीन वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, निजी स्रोत से भूमि क्रय करने अथवा राज्य तथा केन्द्र सरकार या उसके स्वामित्वाधीन निगम, परिषद्, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेन्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर सभी नई औद्योगिक इकाइयों अथवा विस्तार, विविधीकरण करने वाली इकाइयों को **स्टैम्प शुल्क से छूट** उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये सरकार से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने की मांग

66-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये क्या सरकार वृद्धों को पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में समुचित बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद-सोनभद्र में असहाय निराश्रित एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार करने की सरकारी नीति

67-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र में असहाय, निराश्रित एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वृद्ध जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में है, किन्तु बी0पी0एल0 कार्ड न होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले नागरिकों का सत्यापन करवाकर उन्हें भी सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची-2002 में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को पेंशन दिया जाना अनुमन्य है। वृद्धावस्था पेंशन हेतु बी0पी0एल0 कार्ड धारक होना आवश्यक नहीं है।

जनपद सोनभद्र में विकलांगजन पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद बजट के अभाव में पेंशन से वंचितों के लिये बजट और अधिक बढ़ाये जाने विषयक

68-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में विकलांगजन पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद भी बजट के अभाव में पेंशन पाने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बजट एवं पेंशन की अनुदान धनराशि को बढ़ाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

विकलांग पेंशन के बजट में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाती है। विकलांग पेंशन की अनुदान धनराशि में वृद्धि वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन में वृद्धि के साथ की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विकास खण्ड सल्टौआ मो0 पुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमरौली सुमाली में गरीब मछुआरों को आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विकास खण्ड सल्टौआ मो0 पुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमरौली सुमाली में गरीब मछुआरों को आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित-पत्र दिनांक 20-09-2012 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 05-08-2012 प्राप्त हुआ है जिसमें 11 व्यक्तियों को मछुआ आवास देने की संस्तुति की गयी है किन्तु उल्लेखनीय है कि इस ग्राम में वर्ष 2010-11 में पहले से ही 10 पात्र व्यक्तियों को मछुआ आवास दे दिये गये थे। भारत सरकार से सीमित बजट प्राप्त होने के कारण सभी पात्र व्यक्तियों को आवास दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सरकार द्वारा संचालित जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में चयनित ग्राम मानपुर बाबू एवं बनरही जंगल में सड़क, नाली आदि का निर्माण

70-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में सरकार द्वारा संचालित जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांव भानपुर व बनरही चयनित किये गये थे, जिसकी कार्यदायी संस्था कृषि मण्डी समिति को बनाया गया परन्तु प्रत्येक गांवों में आधी अधूरी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सत्यापन कराकर योजना के अनुसार गांव की सम्पूर्ण सड़कों तथा नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु रु0 25.00 लाख की सीमा निर्धारित की गई थी एवं इस सीमान्तर्गत चयनित ग्राम भानपुर बाबू एवं बनरही जंगल में सी0सी0 कार्य एवं नालियों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

71-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

[कार्य-सूची के तारा0 प्र0सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के ग्राम देवरी घड़ी से ग्राम देवरी इरादत नगर की क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराने विषयक

72-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम देवरी घड़ी से ग्राम देवरी इरादत नगर की रोड क्षतिग्रस्त होने से लोगों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित न होने के कारण क्षतिग्रस्त होने की जानकारी नहीं है।

जी नहीं,

उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के अनुसार मार्ग के अनुरक्षण का दायित्व मण्डी परिषद् का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0-10435105/2014 जो मेरठ जिले की सीमा में बहने वाली काली नदी को प्रदूषण मुक्त कराने विषयक

73-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0-10435105/2014 जो मेरठ जिले की सीमा में बहने वाली काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में है इस विषय पर क्या कोई कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मुख्य मंत्री कार्यालय सांसद/विधायक प्रकोष्ठ के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0आई0ओ0-435105/2014 द्वारा प्राप्त मा0 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-02-2014 के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गयी :-

1-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेरठ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से उक्त पत्र पर कार्यवाही करने एवं आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

2-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के अधिकारियों द्वारा संदर्भित क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया।

3-मेडिकल कालेज, गढ़ रोड, मेरठ के समीपस्थ क्षेत्र में लघु श्रेणी की 05 कपड़ा रंगाई के कारखाने स्थित हैं, उक्त समस्त इकाइयों में वांछित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

4-माह मार्च, 2014 में हापुड़ रोड, मेरठ के समीप स्थित 22 गांवों के 40 हैण्डपम्पों से भू-गर्भ जल नमूनें एकत्र किये गये। भू-गर्भ जल नमूनों की विश्लेषण आख्या के अनुसार 40 नमूनों में से मात्र 08 हैण्डपम्पों के जल में आयरन की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गयी है, उक्त में से 04 हैण्डपम्पों के जल में हल्का पीला रंग भी पाया गया।

5-मेडिकल कालेज के आस-पास भयंकर बीमारी फैलने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को दिनांक 06-06-2014 को पत्र प्रेषित किया गया है।

6-मेरठ जनपद में काली नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले समस्त कार्यरत उद्योगों में वांछित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

7-क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार मेरठ में स्थित उद्योगों से कुल 55 एम0एल0डी0 शुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा मेरठ महानगर का कुल घरेलू मल-जल 250 एम0एल0डी0 में से 160 एम0एल0डी0 अशुद्धिकृत घरेलू मल-जल काली नदी पूर्वी में निस्तारित होता है।

8-बोर्ड द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगानगर, मेरठ को गंग नहर से काली नदी में जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 12-06-2014 को पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव वजीदापुर जाने वाली सड़क बनाने का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

74-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव वजीदापुर जाने वाली मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क का निर्माण कार्य गांव से लगभग 300 मी0 पहले ही अधूरा छोड़ दिया गया है जिसके कारण आने-जाने वालों को बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य विधान सभा के लिखित अनुरोध पर केवल 1.00 किमी0 लम्बाई में ही मार्ग का निर्माण कराया गया था।

मण्डी समिति, जलालाबाद की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत निर्माण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में मूक बधिरों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा की शिक्षा के लिये बाहर न जाना पड़े, इसी उद्देश्य से विद्यालय खोले जाने की मांग

75-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में मूक बधिरों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई हेतु विद्यालय न होने के कारण मूक बधिरों छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद सोनभद्र में मूक बधिरों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई हेतु विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

(सदन के वेल में पहले से मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुये नियम-311 की सूचना को स्वीकार करने की मांग करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की सूचना अस्वीकार है।

आज दिनांक 19-06-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय क्षेत्रों में नये विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत समेत प्रदेश में संचालित कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद तथा गुलावठी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा नं0-1 में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा-वृन्दावन में यमुना नदी के किनारे अवस्थित घाटों को पक्का कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री श्यामदेव राय

चौधरी (दादा) की धार्मिक नगरी वाराणसी में सफाई दुर्व्यवस्था तथा सीवर जाम की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की महोबा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विभिन्न उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खंड पहाड़ी स्थित क्षतिग्रस्त पिकअप वीयर एवं जलाशय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया एवं बेल्थरा रोड में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् रसड़ा के वार्ड नं0-1 में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया की जनपद लखीमपुर के नदी कटान के पीड़ितों को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई श्री राम चन्द्र यादव, श्री दलजीत सिंह, श्री सुरेश बंसल, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री विजय कुमार दुबे।

(सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी मानी गयी।)

इलाहाबाद महानगर के कतिपय क्षेत्रों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

इलाहाबाद नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 352 कि0मी0 सीवर लाइन डाली जानी थी। इसके अतिरिक्त राजापुर (मेहदौरी गांव) में एक एस0टी0पी0 तथा लगभग 05.00 कि0मी0 ट्रंक लाइन डाली जानी थी। 20 अक्टूबर, 2012 तक कुंभ मेला के पूर्व प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होना था किन्तु अभी तक केवल 55 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। कटरा, सोहबतियाबाग, कटरा बख्तियारी, सिविल लाइंस, राजापुर, अशोक नगर, गंगा नगर, ओम नगर, शांति नगर, ऊंचवागढ़ी राजापुर, बेली गांव, ग्योराबाद, मैंहदौरी नयी बस्ती, रसूलाबाद, एलनगंज, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, नयी सोहबतियाबाग, तुलारामबाग, दारागंज, बक्शी कलां, कच्ची सड़क तथा दारागंज आदि की गलियों में आज तक ब्रांच लाइन नहीं डाली गयी है। इससे यहां पर सड़क निर्माण में बाधा आ रही है।

आम नागरिकों में इससे भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय नदी गंगा में अभी गंदा सीवर का पानी जा रहा है। श्रद्धालु तथा भक्तगणों में भारी असंतोष है।

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना, सदन के संज्ञान में लाकर प्रथम चरण के सीवर निर्माण को अविलम्ब पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा सैदपुर के कतिपय क्षेत्रों में नये विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में बिजली की विकट समस्या है।

मान्यवर,

हमारे विधान सभा का सबसे गम्भीर प्रश्न यह है कि आये दिन ओवर लोड के कारण ट्रान्सफार्मर जल जाता है तथा तार गरम होकर टूट जाता है, जिससे व्यापारी, किसान, क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 132 के0वी0ए0, 33/11 के0वी0ए0 का नया विद्युत उप केन्द्र तथा सैदपुर से सादात को सिंगल सर्किट को डबल सर्किट कर दिया जाय।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुये तत्काल नव निर्माण एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में विद्युत उप केन्द्र बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है, जिससे किसान तथा क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा और हमारे विधान सभा का विकास हो सके।]

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर,

मैं विधान सभा क्षेत्र-135 शाहजहांपुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है। ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम उदियापुर, ग्राम हथौड़ा, ग्राम बल्लिया में तथा ब्लाक ददरौल के ग्राम शहबाजनगर, ग्राम घुसगवां, ग्राम घूरखेड़ा सभी में 10-12 खम्बे मय तार के जनहित में लगना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मऊ वासक, ग्राम कुरंसंडा, ग्राम भुड़िया में (सुतनेरा ग्राम पंचायत), ग्राम सल्लिया, ग्राम भावलखेड़ा, ग्राम जमालपुर, ग्राम वसिलिया, ग्राम विलरिया, ग्राम नियामतपुर, ग्राम आदमपुर, ददउिरा, ग्राम महोलिया मुण्डी, ग्राम जमुही तथा ब्लाक ददरौल के ग्राम टिकरी, ग्राम रेभा (सिमरिया लक्ष्मीपुर), ग्राम मधवामई, ग्राम रसूलापुर, ग्राम भटेला, ग्राम दौलतपुर, ग्राम उदयपुर कटैय्या आदि गांवों में भी विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है। इन ग्रामों में कहीं एक खम्भा मय तार के कहीं, दो खम्बे मय तार

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के व कहीं चार-पांच खम्बे मय तार के लगना है। जनहित में उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों में खम्बे तार लगवाकर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा देंवे।]

जनपद पीलीभीत समेत प्रदेश में संचालित कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

कृषक बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को पहले 1 लाख रुपया प्रदत्त कराया जाता था विगत वर्ष से यह बीमा धनराशि बढ़ाकर 5 लाख रु0 मा0 अखिलेश सिंह सरकार ने की है जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत विगत अप्रैल, 2013 से लगभग 150 से अधिक आवेदन कृषि बीमा दुर्घटना योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हुये लंबित हैं। जिसमें कि सम्पूर्ण औपचारिकतायें भी परिपूर्ण है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उ0प्र0 सरकार की 1 लाख रु0 से 5 लाख रुपया कृषक बीमा की धनराशि वृद्धि किये जाने की घोषणा थोथी ही नहीं अपितु राजनैतिक है। सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी समाप्त हो रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) के कार्य न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य 31 मार्च, 2014 तक कराये जाने थे लेकिन अभी तक अधिकतर गांवों में विद्युतीकरण के कार्य प्रारम्भ भी नहीं किये गये हैं। मेरी विधान सभा के अनेक गांव विद्युतीकृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अनेक गांव जैसे भराना, बुटैना, जाहिदपुर, सुखलालपुर, नया गांव, सरायघासी, सरायदुल्हा आदि गांवों में लगाये गये विद्युत ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण बार-बार फुक रहे हैं। इससे एक तरफ जनता को उमस भरी गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ अतिभारित ट्रांसफार्मरों के बार-बार फुकने के कारण राज्य सरकार को उन पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ रही है।

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा नं0-1 में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर,

आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-357 बेल्थरा रोड, जनपद-बलिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को देखते हुए नवीन विकास खण्ड भीमपुरा के नवनिर्माण हेतु 02 मई, 2012 को मा0 स्वा0 शारदानन्द अंचल पूर्व मंत्री उ0प्र0 की पुण्य तिथि के अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन मा0 राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी द्वारा विकास खण्ड-नगरा एवं विकास खण्ड-सियर के कुछ हिस्सों को काटकर बनाने की घोषणा की गयी थी। जिसमें कुछ कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी तथा भूमि विकास खण्ड भीमपुरा-नं0-1 के नाम से राजस्व अभिलेखों में आरक्षित है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2001 की जनगणना के अनुसार नये विकास खण्ड में सम्मिलित होने वाले न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत का विवरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 को प्रेषित किया गया जा चुका है लेकिन उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही अब तक पूर्ण नहीं की गयी है जिससे आम जनमानस असमन्जस्य की स्थिति में है। यह जनहित का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में नवसृजित विकास खण्ड भीमपुरा नं0-1 की अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कराकर विकास खण्ड को मूलभूत रूप से संचालित कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मथुरा वृन्दावन में यमुना नदी के किनारे अवस्थित घाटों को पक्का कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर,

मथुरा-वृन्दावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली एवं क्रीड़ास्थली के रूप में विश्व-विख्यात है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल एवं धार्मिक नगरी है, जहां पर देश एवं विदेशों से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक प्रतिवर्ष दर्शनार्थ व भ्रमण हेतु आते हैं। धार्मिक एवं सहिष्णु व्यक्ति यहां पर अवस्थित यमुना नदी में स्नान करते हैं तथा जल का आचमन करते हैं, किन्तु वृन्दावन में यमुना नदी के किनारे अवस्थित घाटों की हालत बहुत खराब हैं, जिनको पक्का कराया जाना अति-आवश्यक है। मथुरा के घाटों के निर्माण के लिए मैंने पूर्ववर्ती केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार में पर्यटन विभाग के मेगा डेस्टीनेशन स्कीम के अन्तर्गत विकास हेतु चयनित करवाया था जिसमें अन्य मदों के अलावा मथुरा

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थित 1. विश्राम घाट से कंस किले तक के घाट के निर्माण हेतु रु0 09.00 करोड़, 2. गोकुल के घाटों की मरम्मत हेतु रु0 01.65 करोड़, 3. चिन्ताहरण महादेव में घाटों के निर्माण हेतु रु0 65.00 लाख तथा 4. हंसारानी घाट के निर्माण हेतु रु0 2.80 करोड़ अर्थात् कुल रु0 14.10 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी थी। यह धनराशि पर्यटन विभाग, उ0प्र0 के पास पिछले 02 वर्ष से लंबित है और सिंचाई विभाग, मथुरा को प्रशासनिक लाल-फीताशाही के कारण अभी तक हस्तानान्तरित नहीं की जा सकी है। जहाँ एक ओर उक्त घाटों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है वहीं दूसरी ओर निर्माण सामग्री के दामों में वृद्धि होने के कारण यह परियोजना पूर्ण होने में प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त घाटों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु उक्त लंबित (रुपये 14.10 करोड़ की धनराशि) को पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन से सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन की मथुरा प्रखण्ड को शीघ्र हस्तानान्तरित किया जाना जनहित में अति-आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

धार्मिक नगरी वाराणसी में सफाई दुर्व्यवस्था तथा सीवर जाम की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

[मान्यवर,

धार्मिक, पर्यटन एवं शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काशी को देखने देश-विदेश से असंख्य देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं लेकिन उन्हें वाराणसी में व्याप्त गन्दगी एवं सड़कों पर बहते सीवर के पानी को देखकर घोर आश्चर्य एवं क्षोभ होता है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी विचित्र एवं संवेदन शून्य है। पिछले कई वर्षों से सफाई व्यवस्था किसको दिया जाय इसे लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत ट्रकें, डम्पर लोडर, हाथ ठेलिया आदि सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर खरीदे गये जो पड़े-पड़े खराब हो गये हैं और शहर में सैकड़ों स्थान पर अनियोजित तरीके से कन्टेनर भी रखे गये जो कालान्तर में टूट-फूट गये और अब वे किसी काम के नहीं रहे। पहले ए-टू-जेड संस्था से अनुबन्ध किया गया लेकिन कुछ समय बाद वाराणसी नगर निगम और संस्था के बीच विवाद उत्पन्न होने से उसने भी सफाई व्यवस्था से हाथ खींच लिया। बीच में शासन द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा सफाई कर्मचारी रखने हेतु निर्देश दिये गये लेकिन वह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी और आज वाराणसी नगर गन्दगी, वाराणसी नगर निगम की अकर्मण्यता और अधिकारियों कर्मचारियों की घोर लापरवाही से त्रस्त है। उक्त स्थिति में वाराणसी नगर को लोगों के अपेक्षानुरूप साफ सुथरा बनाये रखने हेतु वाराणसी नगर निगम को सख्त हिदायत देने की व्यापक जनहित में मांग करता हूँ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महोबा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि महोबा नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु पूर्व में शहर से दूर उर्मिल बाँध से 32 करोड़ के लगभग की राशि से जल निगम द्वारा पानी की टंकियों का निर्माण एवं पाइप लाइन डालने का कार्य किया गया था। यह सारा कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पाइप लाइन मानक के अनुरूप न होने के कारण आये दिन टूटती रहती है जिससे पेय जल आपूर्ति बन्द हो जाती है तथा इसी कारण जल संस्थान ने भी इन कार्यों को हैण्ड ओवर नहीं किया वैसे भी ऊँचाई वाले इलाकों में पानी कभी नहीं पहुँचा शासन द्वारा आज भी टैंकरों से पेय जल की आपूर्ति दूर करने का नाकॉफी प्रयास किया जाता है। जल निगम की भ्रष्ट नीति के कारण पाइप लाइन टूटने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय किसानों के ऊपर डालकर तथा उनके खिलाफ पानी लूटने की झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कर अपने पाप छुपाने का कार्य किया जाता है।

इसी प्रकार जल संस्थान आदि विभाग भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। मा0 कांशीराम कालोनियों की हालत अत्यन्त खराब है। वहाँ पर पेय जल के साधन प्रर्याप्त नहीं है। क्षेत्र के हैण्ड पम्प खराब हालात में है। पेय जल को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए पेय जल समस्या से जुड़े हुए सभी सम्बन्धित विभागों को शीघ्र स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का निर्देश देते हुए तथा दोषी लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद झाँसी के विभिन्न उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[श्रीमान,

कृपया अवगत कराना है, झाँसी मुख्यालय को महानगर बने लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं एवं इस समय शहर की आबादी करीब 9 लाख के आसपास है तथा जनपद की आबादी करीब 24 लाख है यहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन होने के कारण प्रतिदिन झाँसी-कानपुर लाइन पर करीब 60-65 रेलगाड़ियाँ प्रतिदिन गुजरती हैं एवं यह रेलवे लाइन झाँसी-ग्वालियर मार्ग एवं चिरगाँव-भाण्डेर मार्ग पर पड़ती है तथा झाँसी-ललितपुर मार्ग पर झाँसी-इलाहाबाद रेलवे लाइन एवं सिगरावारी-खजुराहा बुजुर्ग, राजगढ़-बैदौरा मार्ग पर झाँसी-मुम्बई रेलवे लाइन पड़ती है जिस पर प्रतिदिन करीब एक सैकड़ा से अधिक ट्रेनों का आवागमन रहता है, इन मार्गों पर आबादी एवं यातायात का भारी दबाव रहता है तथा रेलवे क्रासिंग ज्यादातर बंद रहती है जिससे आम आदमी को तहसील, कचहरी, कमिश्नरी,

---

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न्यायालय, मेडिकल, विद्यालय एवं बाजार आने जाने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं समय की बर्बादी होती है। इन रेलवे क्रासिंगों पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनआक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हुए झाँसी महानगर के आस-पास इन रेलवे क्रासिंगों पर रेल उपरिगामी सेतु बनवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवॉ के विकास खण्ड पहाड़ी स्थित क्षतिग्रस्त विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बांध की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवॉ के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत आने वाला ग्राम मगरमूड़ में विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बाँध को वर्ष 1942 में निर्मित किया गया था जो कि वर्तमान समय में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीयर से निकलने वाली भरपुरा रजबहा, जिसकी लम्बाई लगभग 19 कि0मी0 है जिससे 2600 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। लेकिन बाँध पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूख जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय किसानों द्वारा उक्त बंधे के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक शासन द्वारा निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विरोहिया पिकअप वीयर एवं जलाशय के बाँध का निर्माण किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया एवं बेल्थरा रोड में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बैरिया व विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में बिजली के तार जो काफी दिनों से लगे हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और इन्हें बदल कर नये लगाये जाने की आवश्यकता है। यही नहीं उक्त क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जो लगे हैं वह भी या तो पुराने हैं या कम पावर के हैं जिससे आये दिन फाल्ट की समस्यायें व जर्जर तारों से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे जन-धन की हानि होती रहती है। विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम चाँदपुर, रानीगंज, इत्यादि में बिजली के तार बहुत ही जर्जर हो गये हैं और अभी कुछ दिन पहले बिजली के तार टूटने के कारण काफी

[नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जानवर मर गये थे और स्थानीय लोगों के जन-धन की काफी हानि हुई थी। बिजली फाल्ट अगर होता है तो समय पर उसकी मरम्मत या ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य भी दोनों विधान सभा क्षेत्रों में समय रहते दोनों क्षेत्रों में स्थानीय अभियन्ताओं की लापरवाही के कारण समय पर उसका निदान नहीं होता है। विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में तो और ही स्थिति खराब है। ट्रांसफार्मर फुँक गये या तो जल गये तो महीनों दिन तक स्थानीय अभियन्ताओं की लापरवाही के करण बदले नहीं जाते हैं जिससे किसानों व व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार ग्राम पशुहारी, भदौरा, तरछापार, अखोप, फरसाटार, सिसेण्ड कला, चरौवां आदि ग्रामों के ट्रासफार्मर गर्मी के महीनों में जले और महीनों-महीनों दिनों तक उसको बदलने की कार्यवाही नहीं की गयी है इसमें पूरी लापरवाही स्थानीय स्तर से हुई। ग्राम पशुहारी में अभी कुछ दिन पहले बिजली के जर्जर तार टूटे। चूँकि विगत वर्षों में उक्त गाँव के बिजली के तार बदलने के नाम पर स्थानीय अभियन्ताओं द्वारा लगभग चार लाख रुपये को फर्जी तरीके से बगैर कार्य कराये उतार लिये गये। यह गम्भीर विषय है, तत्काल कार्यवाही किये जाने और विशेष जांच कराकर इसमें लिप्त लोगों को दण्डित किये जाने की आवश्यकता है। अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् के वार्ड नं0-1 में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमा शंकर-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् रसड़ा जो कि शहरी क्षेत्र है में पानी की भीषण किल्लत व्याप्त है जिससे रसड़ा शहरवासियों को स्वच्छ पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है और वहां पर पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् रसड़ा के वार्ड नं0 1 में ओवरहेड टैंक बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर के नदी कटान के पीड़ितों को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

[महोदय कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद लखीमपुर में मेरी विधान सभा में सरकार द्वारा घोषित नदी कटान के उपरान्त जिनके घर घाघरा-शारदा नदी में कट गए हैं और उन लोगों को सरकार द्वारा गृह अनुदान दिया गया है उन्हें बसाने हेतु अभी तक सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि शासन स्तर पर धन उपलब्ध है।

[ ]नोटः- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार नदी कटान से बेघर लोगों को अब तक बसने हेतु जमीन न देकर जिला प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही की गयी है।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं जिससे लोगों में व्याप्त आक्रोश शान्त हो सके व जनहित की तरफ जिला प्रशासन ध्यान देकर अपनी जिम्मेदारी कर एहसास कर सके।]

जनपद कुशीनगर की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों-करोड़ों रुपया बकाया है, भुगतान न होने से किसानों में पर्याप्त आक्रोश है। गन्ना मूल्य देने में मिल मालिक अत्यन्त उदासीन है। इस समय किसानों को पैसे की अति-आवश्यकता है, कृषि कार्य एवं उनके लड़के-लड़कियों की शादी हेतु।

यह जनहित का अति गम्भीर विषय है और आम जनता से जुड़ा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

[12.25] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जून, 2014 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 06 सूचना प्राप्त हुयी जो सभी अस्वीकार कर दी गयी है।

नियम-311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 जून 2004 को नियम-311 के अन्तर्गत 01 सूचना प्राप्त हुयी। प्राप्त सूचना को अस्वीकार किया गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन), अध्यादेश, 2014[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 03 सन् 2014) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन), अध्यादेश, 2014[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 04 सन् 2014) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

[†] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यादेश, 2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 05 सन, 2014) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक 2014†

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि :-

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 †

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि :—

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 †

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि -

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का पाँचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधयेक, 2014

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश

[†] छापा नहीं गया।

विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2014 का प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 को उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि :-

जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

(भारतीय जनता पार्टी की मा0 महिला सदस्यों द्वारा मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने एवं विधान सभा की महिला सुरक्षा गार्ड से धक्का-मुक्की होती रही)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप यह क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। मद सं0 8 एवं 9 में कुछ नहीं है।

[12.28] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 जून, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

1-दिनांक 20 जून, 2014 को अपराह्न 12.20 बजे आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के दिन नियम-56 एवं 300 की सूचनाएं न ली जाएं।

2-दिनांक 23 जून, 2014 से 26 जून, 2014 तक आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के दिन शून्य प्रहर की सूचनाएं अपराह्न 2.00 बजे तक ही सुनी जाएं।

3-नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन प्रस्तावों में से एक-एक प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2014 से लिये जाएं।

4-तद्नुसार दिनांक 19 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए।

<u>जून, 2014</u>

19 गुरुवार	1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन) दिनांक 20 जून, 2014 के स्थान पर तथा आधा दिन (दिनांक 27 जून, 2014 के स्थान पर)। 3-अन्य कार्य यदि कोई हो।
20 शुक्रवार	1-12.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। 2-विधायी कार्य।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार 26 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
27 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान।
28 शनिवार 29 रविवार	बैठक नहीं होगी।
	(घोर व्यवधान के मध्य)
30 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान। 2-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अंतर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे-आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :- (1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातयात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

<u>जुलाई, 2014</u>

01 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान।

2-डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चाः-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई, गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

(वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महिलाओं की रक्षा कर न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है के नारे लगाते रहे।)

02 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की माँगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चाः-

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

[12.40] प्रदेश की कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य धक्का-मुक्की के साथ मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

यह अच्छी बात नहीं है, आप लोग अपने-अपने स्थान पर चलिये। यह क्या आप लोग कर रहे हैं?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-(श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, इस आचरण को देखा जाए, पूरे प्रदेश का माहौल इसी आचरण से भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है। जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में इसी आचरण का नतीजा है यह पूरे देश और प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, उसका आचरण आप यहाँ देखें। इसकी निन्दा होनी चाहिए और कड़ाई से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए। अगर मजबूत सरकार चलानी है तो मजबूत फैसले लेने होंगे और इस तरह के लोगों से सदन और सदन के बाहर कानून को सख्ती से पेश आना होगा।

श्री सतीश महाना (वेल से)-

मान्यवर, प्रदेश में जिस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, थानों में बलात्कार होते हैं, सिपाहियों को गोलियों से मारा जाता है, यह गुस्सा जनता का गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, यह गुस्सा उसका है यह गुस्सा साधारण नहीं है, यह गुस्सा प्रदेश सरकार को खाक करने के लिए है।

(वेल में आये हुए भा0ज0पा0 के माननीय सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया कह रहे थे कि भा0ज0पा0 के विजय पंडित की हत्या की गयी सरकार को जवाब देना चाहिए तथा लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उस पर भी सरकार अपने में मस्त है।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसन पर चलें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)

<u>जुलाई, 2014</u>

03 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्यय के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान।
	2-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चाः-
	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाये।''

<u>जुलाई, 2014</u>

04 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन) 2-विधायी कार्य (आधा दिन)
05 शनिवार 06 रविवार	बैठक नहीं होगी
07 सोमवार 08 मंगलवार 09 बुधवार 10 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्यय के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान।
11 शुक्रवार 12 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
12 शुक्रवार 13 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार 15 मंगलवार 16 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान।

(घोर व्यवधान के मध्य)

17 गुरूवार	1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **<u>2.30 बजे अपराह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
18 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन) 2-विधायी कार्य (आधा दिन)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.42] लोकसभा चुनाव में निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान सभा के बारह सदस्यगण के त्याग-पत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष-सदन को सूचना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्न 12 सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। 1-डा0 महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर 22 मई, 2014, 2-माननीय श्री हुकुम सिंह, शामली 23 मई, 2014, 3-माननीय श्री कलराज मिश्र, लखनऊ 26 मई, 2014, 4-माननीय श्री अजय मिश्र 'टेनी' खीरी 27 मई, 2014, 5-माननीया सावित्री बाई फूले, बहराइच 28 मई, 2014, 6-माननीया सुश्री उमा भारती, महोबा 28 मई 2014, 7-माननीया साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर 29 मई, 2014 8-कुंवर भारतेन्द्र, बिजनौर 29 मई, 2014, 9-माननीय कुंवर सर्वेश कुमार, मुरादाबाद, 29 मई, 2014, 10-माननीय श्री राघव लखन पाल, सहारनपुर 29 मई, 2014, 11-माननीय श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, कौशाम्बी 29 मई, 2014, 12-माननीया श्रीमती अनुप्रिया पटेल, वाराणसी 29 मई, 2014।

[12.45] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19.6.2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना 1-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य श्री संतराम कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्री त्रिभूवन राम, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बृजेश कुमार, श्री राजबली जैसल, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री अली यूसुफ अली, श्री दीपक पटेल, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी 2-श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, प्रो0 रीता बुहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री विजय कुमार दुबे, श्री दिलनवाज खां, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री मो0 मुस्लिम, श्री राधेश्याम, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', 3-डा0 दलवीर सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री भगवती प्रसाद 4-श्री पूरन प्रकाश, 5-श्री सुरेश राणा की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राजेश अग्रवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जय प्रताप सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री विजय बहादुर यादव, श्री बावन सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री संत प्रसाद, श्री कृष्णा पासवान, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री जन्मेजय सिंह, श्री मनीष असीजा, डा0 अरूण कुमार, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री पंकज गुप्ता, श्री विक्रम सिंह की प्रदेश में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(घोर व्यवधान जारी)

(वेल से श्री सुरेश राणा द्वारा यह कहने पर कि माननीय अध्यक्ष जी आपने मेरी सूचना छोड़ दी है)

सुरेश राणा जी आपकी सूचना है मैंने पढ़ी है। आप क्यों परेशान हैं, मैंने तो आपका नाम भी बोला है?

तीसरी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के अन्तर्गत श्री हर प्रसाद की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इस पर ध्यान आकर्षण किया जाता है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री बब्बन सिंह चौहान की सूचना अस्वीकृत की गई।

(माननीय सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान)

माननीय मौर्या जी, आप बोलेंगे?

नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा उत्तर प्रदेश गुन्डाराज की आग में जल रहा है। प्रदेश में जंगलराज है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुन्डे, माफिया, अपराधी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल कर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जानबूझकर तोड़ने का काम कर रही है। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बलात्कार बड़े पैमाने पर बढ़ा है। प्रदेश की कोई भी बहिन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है।

(सदन के वेल में खड़े होकर सदस्यों द्वारा सपा, बसपा, काँग्रेस आई, चोर-चोर मौसेरे भाई के नारे लगाये जाते रहे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज ऐसे हालात में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन को व्यवस्थित करने का काम करें। जिससे कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा सकें और अपनी बातों को आपके माध्यम से सदन के बीच में पहुँचा सके।

(माननीय सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों को भी बोलना है इस विषय पर, आपकी भी नोटिस है, आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें। मौर्या जी, आप नहीं बोलेंगें? अब आज यह व्यवस्थित होने वाले नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सदन व्यवस्थित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप विपक्ष के नेता हैं और वह भी आपसे सम्बद्ध है। आप इनसे आग्रह करें यह वापस अपने स्थान पर चले जायें। आप विपक्ष के नेता हैं, समझाइये इन्हें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है इसीलिये भारतीय जनता पाटी, समाजवादी पार्टी को बचाने का काम कर रही है मान्यवर....

(सदन के वेल में खड़े होकर माननीय सदस्यों द्वारा बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सपा, बसपा, काँग्रेस आई, चोर-चोर मौसेरे भाई के नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे का एजेन्डा लेता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कराने का कष्ट करें। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, आप या तो इस सूचना को चर्चा के लिए स्वीकृत कर दें या सदन को व्यवस्थित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना बोलने के लिये मैने स्वीकृत की थी। आप बोलेंगें और उसके बाद दूसरे दलों के जितने नेता हैं वो बोलेंगें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह पीठ का काम है सदन को व्यवस्थित कराने का। यह विषय मान्यवर, आपकी पीठ से जुड़ा हुआ है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, यह कितना बड़ा लांछन है। लोक सभा चुनाव में खुला रास्ता दे दिया बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को और अब यह कह रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगें ताकि वह वोट भी आसानी से भाजपा को चला जाय। और यहाँ हमारे और इनके मिले होने की बात कर रहे है। अब अगर ऐसा छल करेंगें तो जनता इन्हें पहचानेगी नहीं तो क्या करेगी। इन्हें अपनी टोपी बचाना है जो लगाकर आये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी के इशारों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वेल में आये हैं जिससे कि सरकार की कलई न खुल सके मान्यवर, और इसीलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ.....

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

चलिये धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने यह स्तर माना तो मेरा। धन्यवाद आपका, मेरा स्तर तो बढ़ा दिया आपने अपने मित्र को धन्यवाद। अब यह बताइये कि भाजपा में विलय किस दिन कर रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करवाइये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं तो आज सदन में इस बात को रिकार्ड कराना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप जो अन्दरूनी समझौता है, वह बाहरी समझौता करेंगें। बहुत जल्द राखी बाँधेंगें और बन्धवायेंगें। बहुत जल्द बहिन भाई होने वाले है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, कार्य स्थगन में आपके भी प्रश्न हैं, आप लोग अपनी जगह पर चलें और फिर आप अपनी बात कहें। मौर्या जी बोल लें, आप बोल लें और काँग्रेस के लोग बोल लें। आप चलें सीट पर विवश न करें। आपकी भी सरकारें हैं और सूबों में। दिल्ली में आपकी सरकार है। तो आप ऐसा आचरण करें जिससे लगे कि आप जनतंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

''सपा, बसपा, कांग्रेस (आई), चोर-चोर मौसेरे भाई''

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सदन को व्यवस्थित कराने का कष्ट करें जिससे मेरी इस सूचना पर चर्चा हो सके और आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाया जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ है, इसलिये यह लोग सदन को व्यवस्थित नहीं होने दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुजन समाज पार्टी ने अपना वोट तो दे दिया तो वह भाजपा को अपना समर्थन भी दे दे। जब वोट का समर्थन दे दिया तो सदन में भी दे दीजिये, बचा क्या है ? यह चूहा भाग, बिल्ली आई वाला खेल नहीं चलेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते रहे लेकिन व्यवधान के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया और अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ वह सदन से बहिर्गमन कर गये)

[12.47] जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर कपरवार घाट होते हुये बड़हल राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये सलेमपुर होते हुये भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-13 लेते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत संकल्प- ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुये बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर-करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये सलेमपुर होते हुये भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''

श्री अधिलेश प्रताप सिंह जी, आप इस पर बोलेंगे ? (श्री अखिलेश प्रताप सिंह के नहीं बोलने पर)

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।''

चौधरी जी, चर्चा शुरू करेंगे ?''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी, दादा बहुत दुखी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है आज।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषद्रों को भी शामिल किये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषद्रों को भी शामिल किया जाय।''

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, चर्चा करेंगे ? ठीक है, इसमें भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवायें जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेन्टर यथाशीघ्र खुलवाया जाय।''

श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप चर्चा शुरू करेंगे ?

(चर्चा शुरू नहीं करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी, आज तो बसपा ने बाजी मार ली, कल की खबर बसपा की बनेगी, भाजपा पीछे रह गयी है। इतना शोर किया, इतनी अव्यवस्था की, इतनी अराजकता फैलाई, लेकिन पीछे रह गये।

कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 21 फरवरी, 2014 को श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायं।''

महाना जी, चर्चा करेंगे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस पर तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और आगे भी करेंगे लेकिन नियम-311 में जो सूचना दी गयी है, उस पर पहले चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस संकल्प पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनहित में आगरा में एन0एच0-2 रूनकता से एन0एच0-2 कुबेरपुर ताज एक्सप्रेस-वे तक उत्तरी बाईपास का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक ठा0 सूरजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

ठा0 सूरजपाल सिंह जी, आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

ठा0 सूरजपाल सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनहित में आगरा में एन0एच0-2 रूनकता से एन0एच0-2 कुबेरपुर ताज एक्सप्रेस-वे तक उत्तरी बाईपास का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

आगरा जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी, संकल्प प्रस्तुत करें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए महानगरों के बाहरी क्षेत्रों में बसे लोगों हेतु विद्युतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना जी, आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप नियम-311 की सूचना पर पहले सुन लें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे सुनें। उससे महत्वपूर्ण आज कुछ नहीं है, पूरा प्रदेश जल रहा है, महिलाओं और बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, थानों के अन्दर बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं।

(श्री सतीश महाना द्वारा संकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर)

श्री अध्यक्ष-

संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने विषयक श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान जारी)

(शोरशराबे के कारण घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.49] बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना किये जाये विषयक श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना की जाये।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(नारेबाजी-से सदन में घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[12.50] नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-06-2014 को नियम-51 के कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें पहली सूचना श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम देउम थरिया आदि में सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जिला सहकारी बैंक देवरिया, कसया से किसी प्रकार का भुगतान न होने से उत्पन्न विषम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित श्रमिक उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली मिट्टी की आपूर्ति में बाधाओं के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद के अन्तर्गत किराना मण्डी में खाली पड़े प्लाट में कूड़े को हटाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है,

छठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघ पुर विकास खण्ड नियमतावाद में चकियाँ मेन रोड से पंचायत भवन अमोगपुर तक पिचरोड का पुनर्निमाण कराये जाने सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना श्री अनीसुरर्हमान की जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

अठवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र अन्तर्गत निलम्बित/निरस्तीकृत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को नजदीक की दुकानों से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में,

नौवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की नगर पालिका परिषद् गाजियाबाद की अध्यक्ष नगर पालिका के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर भी उनके द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

दसवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है तथा

ग्यारहवीं सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के बेल्थरा मधुबन मार्ग तथा नगरा बरौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

1. श्री राम चन्द्र यादव,
2. श्री उमाशंकर सिंह,
3. श्री अगयश रामसरन वर्मा,
4. श्री संजय प्रताप जायसवाल,
5. श्री जय प्रकाश निषाद,
6. श्री विजय कुमार दुबे,
7. श्री दिलनवाज खां
8. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
9. श्री रोशन लाल वर्मा,
10. डा0 अरूण कुमार,
11. श्री पूरन प्रकाश (एडवोकेट),
12. श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,
13. डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
14. श्री दलजीत सिंह,
15. श्री राकेश बाबू, तथा
16. श्री प्रदीप माथुर।

(घोर व्यवधान के मध्य ही)

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे। अब आप लोग अपने आचरण में सुधार लाइये।

(इसके बाद सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही 12 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 19 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 143 विधान सभा (250)-09-09-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।